मध्यप्रदेश विधान सभा

(चतुर्दश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति
का
पंचम् प्रतिवेदन

(जुलाई-अगस्त, 2000 सत्र से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन 15 दिसम्बर, 2015 को सदन में प्रस्तुत)

विषय सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	**समिति का गठन**	एक
2.	**प्रस्तावना**	दो
3.	**प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची**	तीन
4.	**विभागों के नाम:-**	
	(1) वन	1
	(2) राजस्व	10
	(3) जल संसाधन	13
	(4) किसान कल्याण तथा कृषि विकास	15
	(5) आवास एवं पर्यावरण	17
	(6) गृह	18
	(7) सामान्य प्रशासन	19
	(8) सहकारिता	20
	(9) पंचायत एवं ग्रामीण विकास	21
	(10) नगरीय प्रशासन एवं विकास	23
	(11) लोक निर्माण	28
	(12) उच्च शिक्षा	33
	(13) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	34
	(14) ऊर्जा	36
	(15) चिकित्सा शिक्षा	37
	(16) आदिम जाति कल्याण	39
	(17) स्कूल शिक्षा	40
5.	**परिशिष्ट - 1**(जुलाई-अगस्त 2000 सत्र के आश्वासनों पर पूर्व में प्रस्तुत प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची)	43

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2015-16)

सभापति

1. श्री राजेन्द्र पाण्डेय

सदस्यगण

2. श्री बालकृष्ण पाटीदार
3. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
4. श्री सूबेदार सिंह रजौधा
5. श्री इन्दर सिंह परमार
6. श्री के.के.श्रीवास्तव
7. चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
8. श्री चन्द्रशेखर देशमुख
9. श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना
10. श्री हरदीप सिंह डंग
11. श्री नीलेश अवस्थी

विधान सभा सचिवालय

1.	श्री भगवानदेव ईसरानी	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री ए.पी.सिंह	. .	सचिव
3.	श्री जी.के.राजपाल	. .	अपर सचिव
4.	श्री बी.डी.सिंह	. .	उप सचिव
5.	श्री आर.के.गुप्ता	. .	अवर सचिव
6.	श्री सुरेश कुमार त्रिवेदी	. .	अनुभाग अधिकारी
7.	श्री शिवप्रसाद बुन्देला	. .	अनुभाग अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का पंचम् प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

2. यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 12 अगस्त, 2015 को गठित की गई थी।

3. इस प्रतिवेदन में जुलाई-अगस्त 2000 सत्र में विधान सभा में मा.मंत्रिगणों द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों को सम्मिलित किया गया है। वर्णित सत्र में मा.मंत्रियों द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 506 आश्वासन दिये गये थे, जिनमें से 113 आश्वासन छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित थे तथा 317 आश्वासनों का निराकरण क्रमश: एकादश विधान सभा एवं द्वादश विधान सभा के विभिन्न प्रतिवेदनों में किया जा चुका है तथा 01 आश्वासन विलोपित किया गया है। इस प्रकार शेष 75 आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरान्त आश्वासनों को इस पंचम् प्रतिवेदन में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

4. आश्वासनों की अभिपूर्ति हेतु मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्रों का विभागों द्वारा पालन नहीं किये जाने से कई विभागीय आश्वासनों की अभिपूर्ति लगभग 14 वर्ष बाद भी नहीं हो पाई है। संसदीय कार्य नियमावली के अध्याय 8 (आश्वासन) की कण्डिका 8.5(4) अनुसार आश्वासनों के संबंध में आश्वासन पंजी का विभाग द्वारा न तो संधारण किया जा रहा है और न ही पंजी मंत्री जी के अवलोकनार्थ भेजी जा रही है. समिति इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है तथा अपेक्षा करती है कि संसदीय कार्य नियमावली का पालन किया जाकर लंबित आश्वासनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनका समय सीमा में निराकरण किया जायेगा।

5. समिति की बैठक दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 में इस प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अनुमोदित किया गया।

6. यह समिति अपनी पूर्ववर्ती समितियों के मा.सभापति एवं सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती है, जिन्होंने सतत् परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों की साक्ष्य लेकर आश्वासनों के निराकरण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। समिति, विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव/सचिव एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों, विभागीय अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों का जिन्होंने समिति के कार्यो में सहयोग प्रदान किया, उन सभी के प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

(राजेन्द्र पाण्डेय)
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

स्थान :- भोपाल
दिनाक :- 01 दिसम्बर, 2015.

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	वन	04, 05, 09, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 23,
2.	राजस्व	26, 29, 30, 44, 46,
3.	जल संसाधन	58, 60, 64, 75, 80,
4.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	96, 99, 106, 109
5.	आवास एवं पर्यावरण	118, 120,
6.	गृह	131, 157,
7.	सामान्य प्रशासन	165,
8.	सहकारिता	172, 177
9.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	212, 219, 221, 224, 228,
10.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	229, 235, 237, 239, 241, 247, 249, 254, 257, 272, 276
11.	लोक निर्माण	292, 299, 300, 301, 313, 317, 321, 325,
12.	उच्च शिक्षा	330,
13.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	345, 350, 352, 358,
14.	ऊर्जा	375,
15.	चिकित्सा शिक्षा	393, 394, 395, 396, 398,
16.	आदिम जाति कल्याण	429,
17.	स्कूल शिक्षा	443, 446, 453, 469, (457+483), 470, 482, 491,

जुलाई-अगस्त, सत्र 2000
वन विभाग

स. क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	04	ता.प्र.सं- 09 (क्र. 395) दि. 17.07.2000	सागर जिले के मालथौन विकासखण्ड में अप्रैल, 2000 से 15 जून, 2000 की अवधि में अवैध उत्खनन के पंजीबद्ध प्रकरण पर कार्यवाही ।	प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है ।	कुल 6 प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही थी। 2 प्रकरणों में मान. न्यायालय ने आरोपियों को दोषमुक्त किया । प्रकरण में रूपये 200 का अर्थदण्ड दिया । प्रकरण कालातीत हो गया, शेष दो प्रकरण अज्ञात अपराधियों के विरूद्ध होने से वनोपज का परिवहन, शासकीय डिपो में करने के उपरांत अभिसंधानित किए जा चुके हैं । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 22/158/2000/10-3, दिनांक 09.12.2004	कोई टिप्पणी नहीं.
2.	05	परि.अता.प्र.सं-9 (क्र. 186) दि. 31.07.2000	जबलपुर वन वृत्त में तेंदूपत्ता बोनस की शेष बची राशि का उपयोग/वितरण.	अंतिम रूप से वर्ष 1989 की शेष बचने वाली राशि बैंकों से वापस ली जाकर राशि लौटाने के संबंध में संचालक मंडल की बैठक में निर्णय लिया जायेगा .	जबलपुर वृत्त के अन्तर्गत कुल रु. 3.17 करोड़ की राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के वितरण के रूप में वितरित की जानी थी जिसमें से कुछ संग्राहकों के उपलब्ध नहीं होने के कारण वितरित नहीं हो सकी थी. इस संबंध में संचालक मंडल में लिये गए निर्णय के अनुसार यह प्रस्ताव मा. अध्यक्ष लघु वनोपज संघ को पुनः प्रस्तुत किया गया. मा. अध्यक्ष लघु वनोपज संघ द्वारा अवितरित राशि के संबंध में संग्राहकों को दिवाल घड़ी वितरण, संघ के कार्यों के प्रचार प्रसार हेतु फिल्म निर्माण कलेण्डर एवं संग्राहकों को वैकल्पिक ऊर्जा के साधन वितरित करने के संबंध में निर्णय ले लिया है. **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ22/155/2000/10-3 दिनांक 06-01-2010	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	09	अता.प्र.सं-7 (क्र. 273) दि. 24.7.2000	वर्ष 88 के बाद दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति में प्रतिबंध के बावजूद नियुक्तियां करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही/वेतन की राशि की वसूली।	दायित्व निर्धारण की कार्यवाही उपरांत गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना संभव होगा।	प्रकरण में प्रथम दृष्टया 17 अधिकारियों को जिम्मेदार पाया गया। शासन के पत्र दिनांक 12.6.2000 में दिये गये निर्देशों के पालन में समिति का गठन किया तथा उसकी अनुशंसा के आधार पर प्रकरण में की गई कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है :- 1. श्री एम.के. सिन्हा, भा.व.से. 2. श्री पी.पी. सिंह, भा.व.से. 3. श्री पी.एम. तिवारी, भा.व.से. 4. श्री ए.पी.एस. चौहान, भा.व.से. 5. श्री जे.एस. तेहरावत, भा.व.से. 6. श्री ए.के चौधरी, भा.व.से. श्री एस.के. दीक्षित, भा.व.से., से राशि वसूल करने का अन्तरिम निर्णय लेकर प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। भारत सरकार का निर्णय अपेक्षित है। श्री एच.के. सक्सेना के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है । प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है :- श्री एस.एन.पाण्डे, भा.व.से., श्री आर.एस.कुशवाहा, भा.व.से., श्री वाय सत्यम्, भा.व.से. एवं श्री एस.पी. दुबे, भा.व.से. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोप सिद्ध न पाये जाने से प्रकरण बिना किसी दण्ड के समाप्त किये गये। निम्नांकित अधिकारियों को छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित होने के कारण इनके विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा कार्यवाही करना संभव न होने से प्रकरण छत्तीसगढ़ शासन को भेजे गये हैं :- 1. श्री आर.सी. दोहरे, भा.व.से. 2. श्री एल.आर. दोहरे, भा.व.से. 3. श्री व्ही.एस.सिलेकर, भा.व.से. 4. श्री आर.के. गोवर्धन, भा.व.से. 5. श्री एस.सी. अग्रवाल, भा.व.से. **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2923/3792/04/04/10-4, दिनांक 16-09-2005	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	10	अता.प्र.सं- 36 (क्र. 1233) दि. 24.7.2000	सतना जिले में परिक्षेत्र सिंहपुर में वर्ष 99 में खनगढ़ में गड्डों खुदाई तथा रोपड़ खनगढ़ में पौधों में निंदाई, थलहा बनाई के फर्जी वाऊचर एवं प्रमाणक बनाकर अनियमितता करने वाले रेंजर के विरूद्ध कार्यवाही।	1. आरोप की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अपचारी अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। 2. संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	आरोपी अपचारी अधिकारी श्री यादवेन्द्र सिंह परिहार, वनक्षेत्रपाल के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के आदेश क्रं. 63, दिनांक 25.5.05 द्वारा दो वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13/52/2000/10-1, दिनांक 06-07-2005	कोई टिप्पणी नहीं..
5.	12	अता.प्र.सं- 12 (क्र. 2233) दि. 24.7.2000	वन परिक्षेत्र सिंहपुर में पदस्थ रेंजर श्री यादवेन्द्र सिंह परिहार के विरूद्ध प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों की प्राथमिक जांच दिनांक 13.3.2000 पर कार्यवाही।	परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	श्री यादवेन्द्र सिंह परिहार, वन क्षेत्रपाल के विरूद्ध पत्र क्रमांक 5406 दि. 24.05.99 से आरोप पत्र जारी किया जाकर आदेश क्रं. 1692 दि. 29.12.2000 द्वारा विभागीय जांच आदेशित की गई। विभागीय जांच में श्री परिहार को दोषी पाये जाने के कारण आदेश दि. 04.04.2005 द्वारा इन्हें दो वर्ष के लिए वनक्षेत्रपाल के न्यूनतम वेतनमान में रखे जाने के दण्ड से दंडित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13/58/2000/10-1, दिनांक 01-07-2005	कोई टिप्पणी नहीं..
6.	16	अता.प्र.सं- 931 (क्र. 3747) दि. 31.7.2000	मुरैना, दतिया एवं गुना जिले में अवैध उत्खनन के प्रकरण में उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच निष्कर्षों के आधार पर यथोचित कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।	1. श्री आर.एस. रघुवंशी, तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी, चन्देरी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा पत्र दि. 26.07.2000 से आरोप पत्र जारी कर संचालक, वन विद्यालय, शिवपुरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत श्री आर.एस. रघुवंशी, वन क्षेत्रपाल (वर्तमान में सेवा निवृत्त) को दोषमुक्त किया जाकर प्रकरण समाप्त किया गया है। 2. श्री आर.आर.एस.चौहान, तत्कालीन वन परिक्षेत्राधिकारी, चन्देरी को ज्ञाप दिनांक 16.7.2001 से दिये गये आरोप पत्र के जवाब पर विचार किया जाकर इनको परिनिन्दित किया जाकर प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-22/232/2000/10-3, दिनांक 05-03-2004	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	18	अता.प्र.सं- 92 (क्र. 3942) दि. 31.7.2000	उत्पादन व.म. मंडला जिले के सिझौरा डिपो में अग्निकांड की जांच तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	1. श्री एन.ए. पन्द्रे, वनक्षेत्रपाल को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल के आदेश क्र. 636 दिनांक 28.4.2000 द्वारा निलंबित किया गया। विभागीय जांच पूर्ण की गई। जांच में आरोप सिद्ध होना नहीं पाया गया। 2. श्री व्ही के रघुवंशी, वनपाल को वनमंडलाधिकारी, पूर्व उत्पादन, मंडला द्वारा आदेश क्र. 169 दिनांक 18.5.2001 द्वारा निलंबन से बहाल करते हुए एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुए विभागीय जांच समाप्त की गई। 3. श्री बी.पी. शुक्ला वनरक्षक को वनमंडला अधिकारी द्वारा दिनांक 20.7.2000 को निलंबित किया गया तथा श्री शुक्ला के विरूद्ध विभागीय जांच उपंरात दिनांक 16.11.2004 को निम्नानुसार निर्णय पारित किये गये :- (अ) दिनांक 19 एवं 20 मार्च, 2000 को सिझौरा जलाऊ डिपो में हुई अग्नि दुर्घटना के कारण रू. 39,130/- वसूल किया जाना। (ब) दिनांक 2 एवं 3 अप्रैल, 2000 को सिझौरा जलाऊ डिपो में हुई अग्नि दुर्घटना में शासन को हुई क्षति रू. 22,72,200/- में से रू. 11,36,100/- वसूल किया जाना। (स) म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दीर्घ शास्ति देते हुये शासकीय सेवा से तत्काल प्रभाव से पदच्युत किया जाना। (द) निलंबन दिनांक 20.7.2000 से आदेशित दिनांक तक की अवधि निलंबन अवधि मानी जाना। 4. श्री एम.के. खम्परिया, वनरक्षक को वन मंडलाधिकारी द्वारा दिनांक 20.7.2000 को निलंबित किया गया तथा श्री खम्परिया के विरूद्ध विभागीय जांच उपंरात दिनांक 06.08.2004 को निम्नानुसार निर्णय पारित किये गये :- (अ) दिनांक 2 एवं 3 अप्रैल, 2000 को सिझौरा जलाऊ डिपो में हुई अग्नि दुर्घटना में शासन को हुई क्षति रू. 22,72,200/- में से रू. 11,36,100/- वसूल किया जाना। (ब) म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दीर्घ शास्ति देते हुये शासकीय सेवा से तत्काल प्रभाव से पदच्युत किया जाना। (स) निलंबन दिनांक 20.7.2000 से आदेशित दिनांक तक की अवधि निलंबन अवधि मानी जाना। उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नांकितों को आदेश दिनांक 03.04.2000 के द्वारा निलंबित करते हुये उनके सम्मुख	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					अंकित अनुसार कार्यवाही की गई :- (1) श्री जे.एल. मौरिया, वनरक्षक को आदेश दिनांक 16.05.2001 द्वारा निलंबन से बहाल करते हुए दो आगामी वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई हैं। (2) श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, वनरक्षक को आदेश दिनांक 18.05.2001 द्वारा निलंबन से बहाल करते हुए शासकीय सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया। (3) श्री बी.एल. झारिया, वनरक्षक को आदेश दिनांक 06.06.2001 से निलंबन से बहाल करते हुए दिनांक 16.05.2001 के आदेशों का पालन न करने के कारण चारित्रिक चेतावनी दी गई। (4) श्री एम.डी. बैरागी, वनरक्षक की दिनांक 08.02.2001 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण समाप्त किया गया। (5) श्री एच.एस. कुडापे, वनरक्षक को आदेश दिनांक 16.05.2001 द्वारा निलंबन से बहाल करते हुए दो आगामी वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ -22/223/2000/10-3, दिनांक 03-05-2005	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	20	ता. प्र.सं-2 (क्र. 5889) दि. 07.08.2000	ग्राम इटावाखास तहसील व जिला पन्ना की लगभग 100 एकड़ एवं पहाड़ी खेरा रोड के किनारे 40 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध रूप से आन मोहम्मद एवं उसके परिवार द्वारा कब्जा किया जाने की जांच समय सीमा में पूर्ण कर कब्जा हटाया जाना एवं पन्ना रियासत के विवादास्पद मामलों का निराकरण.	(1) यह जांच जैसे ही पूरी हो जायेगी. हम मा. सदस्य को उस रिपोर्ट से अवगत करा देंगे. (2) 31 दिसंबर तक जांच हो जाएगी. उसके उपरांत उसका निराकरण हो जायेगा. (3) जहां विवादास्पद मामले हैं उनके लिये कमेटी बनाकर उसकी जांच होने के बाद उसका निराकरण हो जायेगा.	जांच उपरांत पाया गया कि प्रश्नाधीन भूमि वन खंड बिल्हाबिलखुरा के वन कक्ष क्र. पी-89 के अन्दर है, जिन सर्वे नम्बरों पर श्री आन मोहम्मद व उसके परिवार का अतिक्रमण है, उसका इन्द्राज राजस्व अभिलेख में नहीं है. मात्र अतिक्रामकों को सहायक बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा जारी फर्जी भू- अधिकार ऋण पुस्तिकाओं में दर्ज सर्वे नंबरों के आधार पर उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है. ऋण पुस्तिकाएं फर्जी होने व प्रश्नाधीन भूमि वन में पायी जाने के कारण तहसीलदार पन्ना द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 243/बी/121/08, आदेश दिनांक 15.4.09 द्वारा उक्त भूमि की फर्जी भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिकाएं निरस्त कर दी गई है. तदोपरांत आवेदक द्वारा तहसीलदार के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर, पन्ना में निगरानी अपील प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय अपर कलेक्टर, पन्ना द्वारा प्रकरण क्रमांक 84, 85, 87/निगरानी/2008-09 से आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करते हुये तहसीलदार, पन्ना का पारित आदेश दिनांक 15.04.2009 स्थिर रखते हुये दिनांक 29 मार्च 2010 को आदेश पारित किया गया । जिसके उपरांत आवेदक के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं म.प्र.कलेक्टर, पन्ना द्वारा पारित आदेश एवं धारा 80(अ) के तहत जारी नोटिस के विरूद्ध आवेदक द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, केम्प सागर में प्रकरण क्रमांक 11/12 दिनांक 27.12.2012 द्वारा निगरानी अपील प्रस्तुत करते हुये न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर से आगामी पेशी दिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन स्थगित रखे जाने बाबत् आदेश के साथ वनमण्डल कार्यालय में जवाब प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में उप वनमण्डलाधिकारी, पन्ना प्रभारी अधिकारी नियुक्त है तथा प्रकरण वर्तमान में न्यायालय राजस्व, मण्डल, ग्वालियर में विचाराधीन है । न्यायालयीन प्रकरण होने के कारण लंबी अवधि लगने की संभावना है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ -22/272/2000/10-3, दिनांक 28-08-2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	22	परि.अता.प्र.सं. 102 (क्र. 5379) दि. 07.08.2000	टीकमगढ़ जिले के कक्ष क्र.-पी-115,ए.बी. में 68 लोगों को दिये गये पट्टों को निरस्त कर उक्त वनभूमि से कब्जा हटाया जाना.	राजस्व मंडल के निर्णय उपरांत ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जावेगी.	टीकमगढ़ जिले के वनकक्ष क्र. पी-115 एवं 115बी में 68 लोगों को दिये गये पट्टों को निरस्त करने के संबंध में कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा जांच समिति का गठन कर दिनांक 17.5.99 को आदेश पारित कर तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा राजस्व पटवारी अभिलेखों में वनभूमि दर्ज कर दी गई. उक्त आदेश के विरूद्ध अतिक्रमणकारियों (पट्टेदारों) द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर सागर से स्थगन प्राप्त कर अपील दायर की गई. अतिरिक्त कमिश्नर द्वारा कलेक्टर, टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 17.5.99 को यथास्थिति बनाये रखने एवं राजस्व विभाग द्वारा दिये गये पट्टों को निरस्त करते हुए तत्का. राजस्व अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं विभागीय जांच स्थापित करने हेतु दि. 21.12.99 को आदेश पारित किया गया. उक्त आदेश के विरूद्ध अतिक्रमणकारियों द्वारा राजस्व मंडल ग्वालियर में स्थगन प्राप्त कर अपील दायर की गई जिसे दिनांक 3.7.2001 को आदेश जारी कर अपील निरस्त की गयी. उक्त आदेश के विरूद्ध अतिक्रमणकारियों द्वारा मा. उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है, जो कि विचाराधीन है. मान. उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में कोई स्थगन नहीं दिया गया अतः अतिक्रमणकारियों को उक्त वनभूमि से बेदखल करने के लिये भा.व. अधिनियम, 1927 की धारा-80 “अ” के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये. तदुपरांत बेदखली आदेश जारी किये गये. वन भूमि कक्ष क्र.पी-115 ए एवं पी-115 बी से अतिक्रमणकारिओं को पूर्णतः हटा दिया गया है. वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं हैं. **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ22/248/2004/2013, दिनांक 25-02-2004 **अद्यतन जानकारी :-** प्रकरण में मान.राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा आवेदक संस्थान की अपील खारिज की गई। तदानुसार वन भूमि कक्ष क्रमांक पी-115 ए एवं बी में हुये अतिक्रमण को बेदखल करवाया गया ।	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					(1) कक्ष क्रमांक पी-115 ए, वनखण्ड तिंदारी में क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण के तहत 14.2 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य करवाया जा रहा है। वर्तमान में वनखण्ड तिंदारी में कोई अतिक्रमण नहीं है। (2) कक्ष क्रमांक पी-115 बी, वनखण्ड हरपुरा मडिया के अतिक्रमणकारियों द्वारा मान.उच्च न्यायालय,जबलपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.4917/2001 दायर की गई, जिसका जवाबदावा दिनांक 06.12.2001 को मान.उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रस्तुत किया गया एवं वनखण्ड हरपुरा मडिया के अतिक्रमणकारियों को बेदखल किया गया। हरपुरा मडिया के अतिक्रमणकारियों द्वारा मा.उच्च न्यायालय का अदेश वनमण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया गया कि अभी अतिक्रमणकारियों को बेदखल न किया जाये एवं उनके द्वारा मान.उच्च न्यायालय में वन विभाग के कर्मचारियों के विरूद्ध कन्टेंप्ट क्रमांक 4367/2005 दायर किया गया। इस कन्टेंप्ट के विरूद्ध वन विभाग द्वारा मान.उच्च न्यायाल, जबलपुर में अपील क्रमांक 306/2007 दिनांक 13.01.2007 को दायर की गई। मान.उच्च न्यायालय द्वारा उक्त खारिज कर दी गई। वर्तमान में उक्त वनभूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-22-248/2000/10-3, दिनांक 28.08.2015	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	23	परि.अता.प्र.सं. 127 (क्र. 5585) दि. 07.08.2000	वन मण्डलाधिकारी जिला देवास द्वारा नाकेदारों को निलंबित कर संस्थापित जांच पर कार्यवाही।	निलंबित किये गये नाकेदारों को आरोप पत्र जारी किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई। प्रतिवाद उत्तर मांगा गया है जो प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	सा.व.म. देवास के अंतर्गत वन सुरक्षा में लापरवाही बरतने के कारण हुई वन हानि के लिये निम्न कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई। जो इस प्रकारण है :- **1. <u>श्री आर.सी. शर्मा, उप वनक्षेत्रपाल</u> :-** व.म.अ. द्वारा व.म. देवास के आ.क्र. 722 दिनांक 30.8.2002 द्वारा श्री शर्मा उप वनक्षेत्रपाल के विरूद्ध प्रचलित वि.जा. में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया:- (अ) शुद्ध हानि रू. 2548.15 का 50 प्रतिशत रूपये 1275/- की वसूली एक मुश्त में की गई। (ब) एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई। (स) निलंबन अवधि को निलंबन काल मान्य कर जिसकी गणना उनके पेंशन हेतु सेवाकाल के रूप में मानी गई। **2. <u>श्री आर.बी. शुक्ला, वनपाल</u>** :- व.म.अ. (सा.) देवास के आ. दिनांक 12.09.01 द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई तथा निलंबन काल की पात्रतानुसार अवकाश में शामिल किया गया। **3. <u>श्री मनोहर लाल शर्मा, वन रक्षक</u> :-** व.न.म. (सा.) देवास के आ.दि. 30.08.2002 द्वारा उन्हें शुद्ध हानि रू. 2548.15 का 50 प्रतिशत 1275/- एक मुश्त वसूल किया जा कर उन्हें शासकीय सेवा में अनिवार्य सेवा निवृत्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध वन संरक्षक उज्जैन को की गई अपील पर व.स. के आदेश दिनांक 5.02.2002 द्वारा व.म.अ. के आदेश में परिवर्तन करते हुए बीट बामरदा में हुई हानि रू. 2548.15 का 50 प्रतिशत रू. 1275/- एक मुश्त वसूल करते हुये व.र. की आगामी 2 वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी गई हैं। **4. <u>श्री जगदीश त्रिवेदी, वन रक्षक</u> :-** व.म.अ. (सा) देवास के आ. दिनांक 17.9.2001 द्वारा वनरक्षक की तीन वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गई तथा जनहानि की राशि रू. 3420/- की वसूली आदेश जारी किये गये। **5. <u>श्री शिरोमणि कुशवाह, वनरक्षक</u>** :- व.म.अ. (सा.) देवास के आ. दिनांक 22.2.02 द्वारा श्री कुशवाह व.र. की तीन वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी जाकर वन हानि रू. 656/- की वसूली आदेश पारित किये गये एवं निलंबन काल को अवकाश में शामिल किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-22/232/2000/10-3, दिनांक 02-05-2003	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त, सत्र 2000
राजस्व विभाग

स. क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	26	अता. प्र.सं- 44 (क्र. 651) दि. 17.07.2000	बरेली तहसील के ग्राम बाड़ी गगनवाड़ा, दहलवाड़ा, टिप्पा, सेमरी एवं चरगांव में वर्ष 99 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावितों के मुआवजा भुगतान के लंबित प्रकरणों का निराकरण.	लंबित प्रकरणों का निराकरण शीघ्र कर दिया जावेगा.	तहसील बरेली में वर्ष 1999 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित सभी कृषकों को आर्थिक सहायता राशि का वितरण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-149/180/2014/सात/शाखा-3, दिनांक 25.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
12.	29	ता. प्र.सं- 4 (क्र.1906) दि.24.7-2000	रीवा जिले में भूमिहीन, आवासहीन लोगों को जमीन का वास्तविक कब्जा दिलाने की अवधि.	31 अक्टूबर तक समय सीमा है, 31 अक्टूबर तक हो जायेगा.	रीवा जिले में 31 मई, 2000 की स्थिति में 192 आवंटितियों को स्थल पर वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया था, जिसमें से 63 व्यक्तियों को मौके पर ही कब्जा दिलाया जाना शेष है. शेष 129 व्यक्तियों को कब्जा दिलाया जा चुका है, जिसमें से 69 आवंटितियों को मा. उच्च न्यायालय, सिविल कोर्ट एवं आयुक्त रीवा संभाग द्वारा जारी स्थगन आदेश के कारण कब्जा नहीं दिलाया जा सका है. 5 आवंटितियों की भूमि फील्ड फायरिंग रेंज में होने से मौके पर कब्जा नहीं दिलाया जा सका है. 55 आवंटितियों की भूमि वन सीमा के अन्तर्गत होने से कब्जा नहीं सौंपा जा सका है. इन आवंटितियों को जारी पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही प्रचलित है. **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-20-400/2000/सात/2ए, दिनांक 20.03.2002	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	30	ता. प्र.सं- 5 (क्र. 339) दि. 24.07-2000	ग्राम सेमरीखुर्द की पटवारी हल्का नं.4 की भूमि के फर्जी नामान्तरण आदेश में दोषी चकबंदी निरीक्षक के विरूद्ध कार्यवाही समय सीमा में की जाना	1. कार्यवाही करेंगे. 2. जल्दी करेंगे. 3. मैंने कहा कि इसमें जल्दी कार्यवाही करेंगे.	चकबन्दी अधिकारी, होशंगाबाद का नामांतरण आदेश दि.16-4-93 अधिकार विहीन एवं अवैधानिक होने से स्वमेव निगरानी प्रकरण के तहत अपर कलेक्टर न्यायालय, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दि. 30-8-2000 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है. उक्त नामांतरण आदेश में दोषी श्री पन्नालाल पंचार तत्कालीन राजस्व निरीक्षक चकबंदी, होशंगाबाद के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में उन्हें कलेक्टर के आदेश दिनांक 7-8-2000 द्वारा राजस्व निरीक्षक के वेतनमान में न्यूनतम वेतन पर नियत किये जाने की दीर्घशास्ति अधिरोपित की गई तथा श्री व्ही.आर. इंगले तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में जांच अधिकारी का जांच प्रतिवेदन आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर को प्राप्त हो चुका है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है. **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-11-49/2000/सात-5, दिनांक 25.10.2000	कोई टिप्पणी नहीं.
14.	44	परि.अता. प्र.सं- 51 (क्र. 2647) दि. 31.07-2000	जिलाध्यक्ष सीधी द्वारा वस्त्रों की खरीदी में अनियमितता के संबंध में 10.11.99 के परि. अता. प्रश्न सं. 29 (क्र.1644) के अंश (ख) (ग) का गलत उत्तर देने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही.	इस संबंध में कलेक्टर से प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है, जिसके परीक्षण उपरांत उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सकेगा.	कलेक्टर, सीधी द्वारा गलत उत्तर देने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिनाक 7.11.2000 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्राप्त कर परीक्षण उपरांत संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न किए जाने हेतु कड़ी चेतावनी दे दी गई है. **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-3-24/ 2000/सा समन्वय, दिनांक 7.3.2001 **अद्यतन जानकारी :-** कलेक्टर सीधी के पत्र क्र. 166 दि.28.10.2015 के साथ प्राप्त पत्र दि.01.03.2001 के अनुसार कलेक्टर सीधी के द्वारा संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को जारी कारण बताओं सूचना पत्र के क्रम में प्राप्त जवाब के परीक्षण उपरांत भविष्य में पुनरावृत्ति न किए जाने हेतु चेतावनी दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-5/आश्वासन/2015/6376, दिनांक 30.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	46	अता. प्र.सं- 28 (क्र.2145) दि.31.7-2000	सतना विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत भूमिहीनों को भूमि के पट्टों का प्रदाय.	सर्वेक्षण के अनुसार पात्र पाये गये 503 हितग्राहियों को राजीव गांधी आश्रय योजना के अन्तर्गत पट्टे नियमानुसार दिये जायेंगे.	सतना विधान सभा क्षेत्र के राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत नगर पालिक निगम सतना एवं नगर पंचायत कोटर क्षेत्र के 5 कि.मी. की सीमा तक के कुल 503 हितग्राहियों में से नगर पंचायत क्षेत्र कोटर क्षेत्र के 5 कि.मी. की सीमा तक के कुल 503 हितग्राहियों में से नगर पंचायत क्षेत्र कोटर के अन्तर्गत 246 हितग्राहियों में से 142 हितग्राहियों को पट्टा वितरण किया गया. शेष 104 हितग्राही पट्टा तैयार के समय अपात्र पाये गये जिससे उन्हें पट्टा नहीं दिये गये. इस प्रकार नगर पंचायत कोटर के अन्तर्गत कोई भी पट्टा वितरण को शेष नहीं है. नगर पालिक निगम सतना क्षेत्र के 5 कि.मी. की सीमा तक के शेष 257 हितग्राहियों में से अभी तक 23 पात्र पाये गये हितग्राहियों को पट्टा वितरण किया जा चुका है. शेष 234 के संबंध में परीक्षण उपरांत पट्टे जारी किये जाने की कार्यवाही चल रही है. **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 21-96/2000/सात/नजूल, दिनांक 27.2.2001 **<u>अद्यतन जानकारी</u> :-** कार्यालय कलेक्टर, जिला सतना के पत्र क्रमांक 69/17/नजूल/15, दिनांक 20.11.2015 से प्रेषित पत्र में उल्लेख किया गया है कि भूमिहीनों को सर्वेक्षण में पात्र पाए गये कुल 503 हितग्राहियों को राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत पट्टे वर्ष 2002-03 तक वितरित किये जा चुके है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 4-41/वि.स.आ./प्र.रा.आ./2015-1044, दिनांक 26.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त, सत्र 2000
जल संसाधन विभाग

स. क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	58	अता.प्र.सं.17 (क्रं.304) दि.17.07.2000	01 अप्रैल 97 से 30 जून 2000 की अवधि में जल संसाधन संभाग रायसेन द्वारा निर्माण कराये गये मोगा जलाशय के नहर निर्माण में अनियमितता की प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोषों के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	प्रश्नांकित जांच कार्यपालन यंत्री (रू.) गुणवत्ता एवं सतर्कता प्रकोष्ठ, जल संसाधन विभाग, भोपाल द्वारा कराई गई । जांच प्रतिवेदन दिनांक 05.12.2000 में शिकायत निराधार पाई गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 22-55/15/लघु/31/55, दिनांक 16.2.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
17.	60	अता.प्र.सं-60 (प्र.सं. 727) दिनांक 17.7.2000	नागोद विधान सभा क्षेत्र में सुतहा खुर्द शाहजना स्टापडेम के निर्मित वर्ष में ही बहने की जांच एवं स्टापडेम काजवे योजना को पूर्ण किया जाना.	(1) शासन स्तर से जांच अपेक्षित की गई है. (2) आवंटन प्राप्ति होने पर उन्हें पूरा करने की कार्यवाही की जायेगी.	(1) कलेक्टर सतना के पत्र दिनांक 29.7.2000 के द्वारा क्षतिग्रस्त स्टापडेम की जांच कराने हेतु कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला सतना को अधिकृत किया गया है. जांच प्रतिवेदन अभी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग से अपेक्षित है. (2) आवंटन प्राप्त करने हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सतना द्वारा दिनांक 19.12.2000 को प्राक्कलन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना को प्रेषित किया है. आवंटन प्राप्त होने के पश्चात अपूर्ण कार्य को पूरा किया जायेगा. **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21/274/2000/बीस/31 दिनांक 25-01-2001	समिति का यह स्पष्ट मत है कि शासकीय परिसंपत्तियों के निर्माण एवं उनके रख-रखाव में समुचित सावधानी रखते हुये जीरो टॉलरेन्स (ZERO TOLERENCE) की नीति अपनाया जाना समय की मांग है, इससे एक और तो शासकीय धन के अपव्यय पर अंकुश लग सकेगा, वहीं दूसरी ओर लाभार्थियों को समुचित लाभ समय पर प्राप्त हो सकेगा । समिति अपेक्षा करती है कि इस दिशा में सार्थक कार्यवाही की जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	64	परि.अता.प्र.सं.110 (क्रं. 2898) दि. 24.07.2000	तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री बी.के.श्रीवास्तव जल संसाधन सीहोर के विरूद्ध लंबित पांच शिकायतों की जांच तथा कार्यवाही ।	जांच कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेंगी ।	शिकायत की जांच कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग से कराई गई । शिकायत आधारहीन होने से नस्तीबद्ध की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** एफ 21-47/10/पी-2/31/74, दिनांक 14.01.2011	कोई टिप्पणी नहीं.
19.	75	अता.प्र.सं. 40 (क्रं. 2617) दि. 31.07.2000	निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डाबर जंगल व नामापुरा के स्टापडेम रपटा के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना एवं मजदूरों को मजदूरी का भुगतान।	आवंटन प्राप्त होने पर मजदूरी भुगतान एवं निर्माण कार्य पूर्ण करना संभव होगा ।	वर्तमान में प्रकरण अंतर्गत कलेक्टर सेक्टर के कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं कराये जाते हैं । तदनुसार शेष तीन अपूर्ण कार्यों को कलेक्टर सेक्टर अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी विभाग से कराये जाना उचित होगा । आश्वासन में जल संसाधन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जाना अपेक्षित नहीं है । **विभागीय पत्र क्रमांक:-** एफ 21/297/2000/लघु/31/1699, दिनांक 21.10.2011	कोई टिप्पणी नहीं.
20.	80	परि.अता.प्र.सं.15 2 (क्र. 6183) दि. 07.08.2000	रतलाम जिले की नाबार्ड द्वारा स्वीकृत धोलका तालाब का कार्य पूर्ण किया जाना ।	इस योजना को पूर्ण करने का संशोधित लक्ष्य जून 2001 रखा गया है।	रतलाम जिले की धोलका तालाब योजना का निर्माण कार्य नाबार्ड चतुर्थ चरण में सम्मिलित कर निर्माण कार्य मार्च 2002 में पूर्ण कर लिया गया है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** आर.क्र.-346/लघु/31/2011/711, दिनांक 20.4.2011	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त, सत्र 2000
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

स. क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	96	ता.प्र.सं.05 (क्र. 345) दि. 18.07.2000	खेसरीदाल के दुष्प्रभाव को देखते हुए श्रृद्धा एवं प्रतीक किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाना।	हम यह कोशिश करेंगे कि पुराना बीज खत्म हो जाये और यह बीज दिया जाये तो समस्या का निदान हो जायेगा और हम इसके लिये विशेष अभियान चलायेंगे।	मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग के पत्र दिनांक 15.5.2000 द्वारा प्रदेश में कृषकों का पुराना बीज समाप्त करने के लिये सूरज धारा योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु/सीमांत कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर नया बीज दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बीज की नवीन किस्मों के प्रचार-प्रसार तथा पुराने बीज को हानि रहित करने के उपायों के प्रचार-प्रसार हेतु मैदानी कार्यकर्ताओं को संचालनालय के पत्र दिनांक 17.7.2000 द्वारा लिखा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** बी-10/106/2000/14-2, दिनांक 29-06-2004	कोई टिप्पणी नहीं.
22.	99	अता.प्र.सं- 74 (क्रं. 2447) दि. 25.07.2000	इंदौर कृषि उपज मंडी की जीप क्रमांक एम.पी.-09 एफ-6929 की अध्यक्ष द्वारा किये जा रहे दुरूपयोग की जांच एवं कार्यवाही।	उक्त मामले के निराकरण के पश्चात् ही नियमानुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	श्रीमती शांताबाई पटेल अध्यक्ष कृषि उपज मंडी समिति इंदौर को म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 55 एवं 58 के अंतर्गत मंडी बोर्ड के पत्र दिनांक 12.07.2000 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसका उत्तर श्रीमती पटेल ने अपने पत्र दिनांक 22.07.2000 से प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में अध्यक्ष कृषि उपज मंडी समिति इंदौर को समक्ष में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु युक्तियुक्त अवसर देते हुये सुना गया। प्रकरण के परीक्षण एवं प्रस्तुत अभिलेखों के उपरांत श्रीमती पटेल दोषी नहीं पाये जाने के फलस्वरूप मंडी बोर्ड के आदेश दिनांक 31.10.2002 द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक**:- डी-10/20/2000/14-3, दि. 15.06.2005	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	106	अता.प्र.सं- 59 (क्रं. 4056) दि. 01.08.2000	मार्च, 97 में सिवनी मंडी समिति द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति में रोस्टर नियमों का पालन न करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	दोषीअधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।	कृषि उपज मंडी समिति, सिवनी में की गई नियुक्तियों में रोस्टर का पालन नहीं किये जाने के लिये दोषी श्री आर.आर. यादव, तत्कालीन उप संचालक, मंडी बोर्ड, जबलपुर की मंडी बोर्ड के आदेश दिनांक 01.04.2002 से एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। श्री एन.पी. कोरी, तत्कालीन सचिव, कृषि उपज मंडी समिति सिवनी पर उनकी पेंशन निधि से 06 प्रतिशत की राशि कम करने की शास्ति अधिरोपित की गई है। तत्कालीन भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति सिवनी श्री के.एन. मिश्रा के सेवानिवृत्त हो जाने से म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के अंतर्गत उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** डी-10/254/2000/14-3, दि. 29.04.2010	कोई टिप्पणी नहीं.
24.	109	अता.प्र.सं- 42 (क्रं. 3879) दि. 08.08.2000	कृषि उपज मंडी, उज्जैन में व्यापार करने हेतु आवंटित प्लाटों का आवंटन शर्तों के विपरीत उपयोग करने पर भूखण्डों का आवंटन निरस्त किया जाना।	आवंटन आदेश में उल्लेखित शर्तों के विरूद्ध उपयोग किए जा रहे भूखण्डों के आवंटन को रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी।	कृषि उपज मंडी समिति, उज्जैन के भूखण्ड आवंटन आदेश में उल्लेखित शर्तों के विरूद्ध उपयोग किये जा रहे भूखण्डों के संबंध में मंडी समिति, उज्जैन द्वारा दिनांक 18.03.2005 को 25 आवंटन दिनांक 02.9.2005 को 42 आवंटन एवं दिनांक 28-30.09.2005 को 15 आवंटन इस प्रकार कुल 82 भूखण्ड जो कि आवंटन आदेश में उल्लेखित शर्तों के विरूद्ध उपयोग किये जा रहे थे, को मंडी समिति द्वारा निरस्त कर दिये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** डी-10/255/2000/14-3, दि. 23.01.2007	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त, सत्र 2000
आवास एवं पर्यावरण विभाग

स. क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	118	अता.प्र.स.89 (क्र.3198) दि.25.07.2000	शिवपुरी विकास प्राधिकरण में वर्ष 88 के बाद के सेवा से पृथक किये गये दैनिक वेतन भोगियों के स्वत्वों का भुगतान।	02कर्मचारियों को पात्रतानुसार उपादान की राशि भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।	नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है। कोई कार्यवाही शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 9198/5157/2010/18-1, दिनांक 23.10.2010	कोई टिप्पणी नहीं.
26.	120	परि.अता.प्र.सं- 37 (क्रं. 3645) दि. 08.08.2000	म.प्र.गृह निर्माण मण्डल द्वारा ग्वालियर स्थित दीनदयाल नगर में एफ सेक्टर में नाले के गहरीकरण में इससे संबंधित कार्यों में अनियमितता के दोषियों पर कार्यवाही।	संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण की तकनीकी विवेचना एवं जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवश्यकतानुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 11.10.2004 को संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच का निर्णय लिया गया। तत्समय में जांच अधिकारी के पद पर सुश्री प्रेमलता प्रधान (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) नियुक्त थी। विभागीय जांच में जांच अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दि. 08.12.2007 की छायाप्रति नियमानुसार अपचारियों को उपलब्ध कराई गई थी तथा संचालक मण्डल के 201 वें सम्मिलन दि. 10.02.2009 को उनकी व्यक्तिगत सुनवाई करने के बाद संचालक मण्डल द्वारा पारित संकल्प क्रं. 4122-12/2001/02/2009 में सर्वसम्मति से श्री एम.जी.विलतकर, अपर आयुक्त (सेवानिवृत्त) श्री ए.के.एस. तोमर, कार्यपालन यंत्री (अनिवार्य से.नि.) एवं श्री एस.एस. कुशवाह, उपायुक्त (चालू प्रभार, सेवानिवृत्त) की नियमानुसार पेंशन राशि में से 10 प्रतिशत की राशि स्थाई रूप से कटौत्री करने तथा श्री एल.एस. सोंगर, उपायुक्त (वर्तमान में सेवानिवृत्त) की एक वार्षिक वेतनवृद्धि श्री एन.के.गंगेले, सहायक यंत्री की दो वार्षिक वेतन वृद्धि तथा श्री शिवनंदन सिंह भदौरिया उपयंत्री की तीन वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने की दीर्घशास्ति अधिरोपित की गई है। तदाशय का आदेश क्रमांक 89, 90, 91, 92, 93, 94 दिनांक 26.02.2009 को जारी किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** एफ 2052/2010/32-1, दिनांक 15.10.2010	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त, सत्र 2000
गृह(पुलिस) विभाग

स. क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.	131	ता.प्र.सं- 13 (क्रं. 1190) दि. 25.07.2000	सीधी जिले के थाना चितरंगी में दर्ज अप.क्र. 36/96 के अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही ।	नियमानुसार अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी ।	थाना चितरंगी के अप.क्र. 36/96 के प्रकरण में दिनांक 30.04.2005 को चालान क्र. 33/05 तैयार किया गया जो दिनांक 30.06.2005 को जे.एम.एफ.सी. देवसर के न्यायालय में पेश किया गया जिसका प्रकरण क्र. 118/05 है। जो मान. न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक**:- 4265/3777/2011/बी-1/दो, दिनांक 29.06.2011	कोई टिप्पणी नहीं.
28.	157	अता.प्र.सं- 20 (क्रं. 2978) दि. 08.08.2000	बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोकराटा में स्थाई पुलिस चौकी की स्थापना ।	स्थाई पुलिस चौकी की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत विचार किया जावेगा ।	वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श अनुसार नये पदों पर पूर्ण प्रतिबंध होने से उपलब्ध बल से व्यवस्था किये जाने हेतु पुलिस महानिदेशक म.प्र. भोपाल को निर्देश दिये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक**:- 13/76/2000/बी-3/दो, दिनांक 12.11.2007	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त, सत्र 2000
सामान्य प्रशासन विभाग

स. क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	165	परि.अता.प्र.सं-731 (क्रं. 3831) दि. 01.08.2000	लोकायुक्त अधिकारियों के दल द्वारा फरवरी, 99 में श्योपुर के कुछ निर्माण कार्यों की जांच की रिपोर्ट प्रेषित की जाना।	जांच पूर्ण होने के पश्चात् ही रिपोर्ट प्रेषित की जा सकेगी।	विषयांकित आश्वासन के संबंध में विधान सभा सचिवालय के पत्र क्रमांक 25366/वि.स./आश्वा./2011 दिनांक 30.11.2011 द्वारा चाही गई बिन्दुवार अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है :- 1. प्रकरण क्रमांक -2 में लोकायुक्त संगठन के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24.4.2002 द्वारा विभागीय जांच की अनुशंसा की गई है। 2. म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग के ज्ञाप दिनांक 15.07.2002 द्वारा लोकायुक्त से प्राप्त अनुशंसा की प्रति तथा विभागीय ज्ञाप दिनांक 21.02.2003 द्वारा श्री विश्वकर्मा के विरूद्ध जारी किये जाने वाले आरोप पत्रादि छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित किये गये। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अत: विभागीय ज्ञाप दिनांक 04.01.2012 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को अद्यतन जानकारी भिजवाने हेतु पत्र लिखा गया है। श्री बी.आर. जोशी, सहायक यंत्री, सेवानिवृत्त के विरूद्ध प्रमुख अभियंता कार्यालय के पत्र दिनांक 22.02.2003 द्वारा आरोप पत्र जारी किये जाकर, प्रकरण में निहित अपचारी अधिकारियों की जांच पूर्ण कर जांचकर्ता अधिकारी मुख्य अभियंता ग्वालियर द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.12.2010 को प्रमुख अभियंता को उपलब्ध कराया गया। 3. प्रकरण में निहित श्री बी.आर. जोशी, श्री आर.एस. वर्मा तथा श्री के.के. सक्सेना के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को जांच अधिकारी द्वारा सिद्ध नहीं पाया गया। जहॉ तक प्रकरण की जांच में विलंब होने का प्रश्न है, इस संबंध में जांच अधिकारी ने अवगत कराया है कि सुनवाई की निर्धारित तिथियों में सभी साक्ष्य/अपचारी अधिकारी एक साथ उपस्थित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण गवाहों का परीक्षण नहीं हो पाया। श्री आर.एस.जाटव, उपयंत्री को जांचकर्ता अधिकारी द्वारा दोषी पाये जाने के कारण उनकी दो वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी जाने के आदेश प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण, म.प्र. द्वारा उनके आदेश दिनांक 08.08.2011 को जारी किये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** एफ 18-30/2000/1-10, दिनांक 25.04.2012	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त 2000 सत्र
सहकारिता विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30.	172	परि.अता.प्र.सं.60 (क्र.1965) दि.25.07.2000	बैतूल जिले में सहकारी ससुन्द्रा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित भीमपुर एवं सांवलमेढ़ा के विरूद्ध लंबित जांच को पूर्ण कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही ।	जांच शीघ्र पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बैतूल द्वारा पुन: जांच कराई गई । जांच दिनांक 09.06.2004 को पूर्ण जांच (1) में रूपये 232309.80 के लिये श्री बी.पी.नरवरे प्रबंधक एवं संजय शिवहरे संस्था सहायक को संयुक्त रूप से दोषी पाया गया । जांच (2) में रूपये 2570000.00 के लिये चिन्ध्या मालवीय प्रबंधक एवं संजय शिवहरे संस्था सहायक को संयुक्त रूप से दोषी पाया गया । बैंक द्वारा जांच (1) में बी.पी.नरवरे से रूपये 116154.90 तथा संजय शिवहरे से रूपये 116154.90 तथा जांच (2) में चिन्ध्या मालवीय से रूपये 128500.00 तथा संजय शिवहरे से रूपये 128500.00 की वसूली की गई । श्री बी.पी.नरवरे तथा चिन्ध्या मालवीय की तीन-तीन वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव प्रभाव से रोकी गई । श्री संजय शिवहरे संस्था सहायक को संस्था द्वारा सेवा से पृथक किया गया । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1185/2015/15-1, दिनांक 27.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
31.	177	परि.अता.प्र.सं.25 (क्र.1795) दि.01.08.2000	पूर्व निमाड़ जिले की बुरहानपुर सहकारी सूत मिल के बंद होने के फलस्वरूप श्रमिक/कर्मचारियों के वेतन ग्रेच्युटी आदि राशि के भुगतान ।	श्रमिक/कर्मचारियों को वेतन एवं ग्रेच्युटी आदि का भुगतान सहकारिता विधान के अंतर्गत निहित प्रावधानानुसार परिसमापक द्वारा किया जावेगा ।	सहकारी सूत मिल बुरहानपुर के पास कोई चल तथा अचल संपत्ति नहीं होने के कारण श्रमिकों/कर्मचारियों को वेतन एवं गेच्युटी का भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है । अत: आश्वासन की पूर्ति वर्तमान में होना संभव नहीं है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1243/3332/09/15-1, दिनांक 20.06.2011	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त 2000 सत्र
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32.	212	अता.प्र.सं.79 (क्र.3286) दि.26.07.2000	वित्तीय वर्ष 96 से मार्च, 2000 तक आष्टा विधान सभा क्षेत्र में राज्य के मा.मंत्रीगणों द्वारा निर्माण कार्यो के संबंध में की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन ।	शेष 13 घोषणाओं बाबत् नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	आष्टा विधान सभा क्षेत्र में राज्य के मंत्रीगणों द्वारा की गई कुल 22 घोषणाओं में से 16 के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा 02 कार्य प्रगति पर हैं । एक कार्य प्रधान मंत्री सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत हुआ है । **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 0766/22/वि.स.सेल/2014, दिनांक 12.09.2014	कोई टिप्पणी नहीं.
33.	219	अता.प्र.सं.44 (क्र.2859) दि.02.08.2000	ग्वालियर में राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन अंतर्गत चल रहे कार्यो में कतिपय अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने संबंधी शिकायत की जांच।	प्राप्त शिकायतों पर जांच प्रगति पर है ।	राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अंतर्गत मिली वाटरशेड बरई, ग्वालियर के परियोजना अधिकारी श्री डी.एस.कुशवाहा के विरूद्ध निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई है । शिकायत की जांच श्री आर.डी.खरे, तत्कालीन आंचलिक प्रबंधक कृषि जलवायु क्षेत्रीय परियोजना ग्वालियर, श्री आर.के.खरे, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग ग्वालियर तथा श्री बी.पी.चौरसिया, डिप्टी कलेक्टर, ग्वालियर द्वारा की गई । जांच में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाये जाने के फलस्वरूप मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ग्वालियर के पत्र क्र. जि.प/2-13/42/2001/वाटरशेड/ 2472, दिनांक 26.03.2001 के द्वारा श्री कुशवाहा के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही का प्रस्ताव आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को प्रेषित किया गया । विभागीय जांच की कार्यवाही पूर्ण की जाकर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के पत्र क्र. क्यू/विकास/स्था./ 23-4/47/01, दिनांक 30.10.2004 द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसमें कुल अधिरोपित नौ आरोपों में से एक से आठ तक के आरोप अप्रमाणित पाये गये । आरोप क्र. 09 आंशिक रूप से प्रमाणित होना पाया गया । जिसके लिए श्री कुशवाहा को भविष्य के लिए सचेत किया जाकर प्रकरण को विलोपित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 12609/22/वि-9/आर.जी.एम./2014, दि.10.11.2014	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.	221	अता.प्र.सं.63 (क्र.3769) दि.02.08.2000	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग ग्वालियर में वर्ष 99-2000 में 31.12.99 तक कार्यरत उपयंत्रियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही।	परीक्षण उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।	परीक्षण उपरांत दोषी उपयंत्रियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2125/397/वि.स./22/वि-10/ग्रायास/2002, दिनांक 09.07.2002	कोई टिप्पणी नहीं.
35.	224	अता.प्र.सं.115 (क्र.5242) दि.02.08.2000	मैहर क्षेत्र की बढ़िया से चुरहटा पहुंच मार्ग की स्वीकृत एवं कार्य प्रारंभ किया जाना।	जिला पंचायत द्वारा स्वीकृति दिये जाने पर प्रारंभ हो सकेगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य की स्वीकृति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 0766/22/वि.स./2014, दिनांक 12.09.2014	कोई टिप्पणी नहीं.
36.	228	अता.प्र.सं.173 (क्र.7314) दि.10.08.2000	जबलपुर जिले के पाटन विकासखण्ड अंतर्गत वर्ष 99-2000 एवं 2000-2001 में राजीव गांधी जल मिशन क्षेत्र के अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्ति पर गुण-दोषों के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	विकासखण्ड पाटन के मिली वाटरशेड मुर्रई की विस्तृत जांच कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर से कराई गई। उनके द्वारा जांच में वाटरशेड कमेटियों द्वारा किये गये कार्यो की गुणवत्ता उत्तम एवं तकनीकी रूप से सही पाई गई है। लेखा संधारण विधिवत किया जाना पाया गया है। सभी कार्य मिशन की अवधारणा के अनुरूप कराये गये है। पी.आई.ए. सदस्य श्री राजू पटेल उपयंत्री द्वारा किसी भी समिति से राशि की मांग की जाना नहीं पाया गया। अत: किसी को दोषी मानकर कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 9093/22/वि-9/आर.जी.एम./2014, दिनांक 12.08.2014	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त 2000 सत्र
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37.	229	ता.प्र.स.05 (क्र.282) दि.19.07.2000	सतना नगर में वर्ष 96-97 में राजीव गांधी स्वावलम्बन योजनान्तर्गत निर्माणाधीन दुकानों के निर्माण कार्य को समय सीमा में पूर्ण किया जाना।	हम यह कोशिश करेंगे समयावधि में बने।	विषयांतर्गत नगर पालिक निगम सतना द्वारा वर्ष 1996-97 में राजीव स्वावलम्बन योजनान्तर्गत कुल 393 दुकानों के निर्माण की योजना तैयार की गई थी, जिसकी प्रस्तावित अनुमानित लागत रू.1.05 करोड़ थी । उक्त योजना के तहत कुल 70 दुकानों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया, जिसमें कुल रू.19,36,660/- का व्यय हुआ है। शासन से इस मद में मात्र रू.10.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था । शेष राशि के लिए शासन गारंटी प्राप्त नहीं होने से अर्थाभाव के कारण शेष दुकानों का निर्माण कार्य निरस्त कर दिया गया है । राजीव स्वावलम्बन योजना भी समाप्त हो चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4013/2386/2012/18-2, दिनांक 20.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.	235	अता.प्र.सं.50 (क्र.1177) दि.19.07.2000	बख्तावरराम नगर, इंदौर में नक्शे के अनुसार रोड, बगीचे आदि का निर्माण न करने पर कॉलोनाईजर के विरूद्ध कार्यवाही।	नस्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। नस्तियां प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	नगर निगम द्वारा कॉलोनाईजर संस्था के अध्यक्ष को स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध किये गये निर्माण के संबंध में सूचना पत्र दिनांक 10.10.2005 जारी करते हुए उक्त निर्माण हटाने हेतु निर्देश दिये गये। नगर निगम द्वारा बगीचे का स्थल पर कब्जा दिनांक 18.10.2005 को प्राप्त किया गया। संबंधित संस्था द्वारा उक्त नोटिस के विरूद्ध मान.व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के समक्ष याचिका क्रमांक 85ए/05 विरूद्ध नगर निगम दायर कर दिनांक 02.02.2006 को स्थगन प्राप्त किया गया। स्थगन आदेश अनुसार "वादी" संस्था के स्वामित्व आधिपत्य व मालिकी की भूमि पलियाहाना के खसरा नंबर 151/2, 152, 160/1, 160/7, 169 कुल रकबा 15.58 एकड़ पिपल्याहाना इंदौर पर जो निर्माण कार्य व विकास कार्य किया गया है, में प्रतिप्रार्थीगण किसी प्रकार की तोड़फोड न करे व बलपूर्वक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही तोडफोड न करे व मौके पर यथास्थिति बनाये रखी जावे जरिए अस्थायी निषेघाज्ञा निषेधित किया जाता है। इस आदेश का प्रकरण के अंतिम निराकरण के गुण दोषों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस स्थगन आदेश के विरूद्ध नगरपालिक निगम इंदौर द्वारा विविध अपील क्रमांक 33/06 बीसवे अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें नगर निगम की अपील को अस्वीकार करते हुए दिनांक 02.02.2006 के स्थगन आदेश की पुष्टि की गई। तत्पश्चात् बख्तावरराम नगर गृह निर्माण संस्था द्वारा न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 हातोद श्रृंखला न्यायालय इंदौर जिला इंदौर में व्यवहार वाद क्रमांक 60-ए/2007 प्रस्तुत किया गया जिसमें पारित आदेश दिनांक 08.01.2010 अनुसार "प्रतिवादीगण एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारीगण वादी संस्था के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे नंबर 151/2, 152, 159, 160/1, 160/7, 169 कुल रकबा 15.58 एकड पिपल्याहाना इंदौर पर सूचना पत्र क्रमांक 1762 दिनांक 10.10.2005 के परिपेक्ष्य में किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ एवं बल पूर्वक हस्तक्षेप की कार्यवाही न तो स्वयं करें, न किसी अन्य के माध्यम से करावे,ना ही वादी संस्था के शांति पूर्ण आधिपत्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					करें ना ही किसी अन्य के माध्यम से करावें" उक्त आदेश देते हुए, वादी संस्था के पक्ष में डिक्री की गई। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में निगम स्तर से कोई कार्यवाही की जाना शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2074/2863/2011/18-2, दिनांक 25.06.2012	
39.	237	अता.प्र.सं.40 (क्र.1183) दि.19.07.2000	फूलमाली सैनी समाज इंदौर को धर्मशाला एवं प्रायमरी स्कूल हेतु भूमि का आवंटन।	प्रकरण में कार्यवाही जारी होकर इसमें निगम परिषद की स्वीकृति उपरांत शीघ्र ही राज्य शासन को प्रकरण।	प्रकरण में नगर निगम, इंदौर की परिषद द्वारा प्रस्ताव क्र. 59, दिनांक 22.06.2001 से स्वीकृति प्रदान कर प्रस्ताव दि.25.09.01 को विभाग को भेज दिया गया है। प्रस्तावित भूमि का प्रबंधन राजस्व विभाग के अधीन होने से प्रकरण को भूमि आवंटन की कार्यवाही करने के लिए जिला योजना समिति इंदौर को दिनांक 27.09.03 को भेजा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4213/7826/2004/18-2, दिनांक 13.09.2007	कोई टिप्पणी नहीं.
40.	239	अता.प्र.सं.75 (क्र.1678) दि.19.07.2000	ग्वालियर नगर निगम सीमा में विवाद 05 वर्षो में शापिंग काम्पलेक्स के शुरू किए गए अपूर्ण कार्य को पूर्ण किया जाना।	गतिशील निर्माण कार्य आगामी 08 माह में पूर्ण होने की संभावना है।	प्रश्नांकित कार्य पूर्ण हो चुके है। वर्तमान में कोई कार्य शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2969/2331/2012/18-2, दिनांक 03.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं.
41.	241	ध्यानाकर्षण सूचना दि.24.07.2000	भोपाल में पुरानी जेल के सामने से हटाये गये झुग्गीवासी जिनका व्यवस्थापन गेहूंखेड़ा में किया गया है को व्यवस्थापन हेतु राशि उपलब्ध करायी जाना।	व्यवस्थापन नियमों के अनुसार जितनी पात्रता वहां के लोगों को आती है, वह धनराशि तत्काल उपलब्ध करा दी जावेगी।	विभागीय बजट में प्रावधानित राशि उपलब्ध करा दी गयी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2508/2008/18-1, दिनांक 20.06.2008	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.	247	परि.अता.प्र.सं.30 (क्र.1176) दि.26.07.2000	बख्तावरराम नगर के पश्चिम तरफ मास्टर प्लान के अनुसार 80 फिट चौड़ी रोड का निर्माण न कर अवैध निर्माण के संबंध में कॉलोनाईजर एवं अवैध निर्माणकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही।	विस्तृत सर्वे एवं सीमांकन किये जाने पर यदि अनियमितता पायी जाती है तो संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	म.प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना फरवरी 2003 के अनुसार बख्तावरराम नगर की रोड चौड़ी 80 फिट को नियमानुसार उपान्तरित की गई है - 1- एग्रीकल्चर कालेज- गीता नगर के सेक्टर ई बख्तावरराम नगर तक न्यूनतम 40 फिट चौड़ी है। 2- सेक्टर ई से सेक्टर ई तक बख्तावरराम नगर तक उपरांत सूचना के अनुसार यथावत 45 फिट चौड़ाई। 3- सेक्टर एफ बख्तावरराम नगर से सेक्टर जी तिलक नगर चौराहे तक न्यूनतम 40 फिट चौडाई। उपरोक्तानुसार किया गया उपरांतगण इंदौर विकास योजना 1991 का एकीकृत भाग होगा। उपरोक्तानुसार मौके पर उपरांतगण अनुसार 40 फिट चौडी रोड उपलब्ध है। अत: 80 फिट रोड निर्माण अवैध निर्माण हटाने तथा कालोनाईजर पर कार्यवाही की बाध्यता समाप्त हो गई है। उपरोक्त अनुसार अब कोई और कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 2796/2577/11/18-2, दिनांक 14.11.2011	कोई टिप्पणी नहीं.
43.	249	परि.अता.प्र.सं.46 (क्र.1784) दि.26.07.2000	नगर पालिक निगम बुरहानपुर की पेयजल पूर्ति हेतु निर्मित शिकारपुर और सिंधीपुरा की पानी की टंकियों के क्षतिग्रस्त होने पर निर्माण कार्य अनुसंधारण हेतु दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	तकनीकी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	प्रकरण में जांच प्रचलित होने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। टंकियों के निर्माण के लिए राशि भी आवंटित कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6138/2008/18-1, दिनांक 17.07.2008	कोई टिप्पणी नहीं.
44.	254	अता.प्र.सं.20 (क्र.1385) दि.26.07.2000	नगर पालिका डबरा जिला ग्वालियर में वर्ष 2000-01 के लिये न्यूनतम दर से अधिक दर पर विद्युत सामग्री क्रय करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण की जांच कार्यपालन यंत्री ग्वालियर संभाग, ग्वालियर से कराई गई। जांच प्रतिवेदन के अनुसार कोई भी दोषी नहीं पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 2508/2008/18-1, दिनांक 20.06.2008	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45.	257	ता.प्र.सं.12 (क्र.4748) दि.02.08.2000	15 ए.बी.रोड (इंडस्ट्री हाउस) इंदौर वाले भवन में अवैध निर्माण के संबंध में आयुक्त, नगर निगम इंदौर द्वारा कम्पाउंडिंग किए जाने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	संबंधित का स्पष्टीकरण लिया जा रहा है । उसके पश्चात् समुचित कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण में समझौता वर्ष 1998 में किया गया है। समझौते में भवन की कुल ऊंचाई बढ़ाने की अनियमितता के कारण समझौता किया गया है तथा समस्त एन.ओ.सी. प्राप्त करने के निर्देश भवन निर्माता को देने के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2660/2008/18-1, दिनांक 10.06.2008	कोई टिप्पणी नहीं.
46.	272	अता.प्र.सं.08 (क्र.1390) दि.10.08.2000	नगर पालिका डबरा ग्वालियर द्वारा वाहन खरीदने की जांच तथा कार्यवाही।	जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	विभागीय पत्र दिनांक 12.01.2001 द्वारा डॉ.अनरेश कैलासिया, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, डबरा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था । शासनादेश दिनांक 18.01.2002 द्वारा इन्हें भविष्य के लिए सचेत करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-4-47/2000/18-3, दिनांक 05.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं.
47.	276	अता.प्र.सं.97 (क्र.6620) दि.10.08.2000	सतना नगर निगम को शहरी विकास गंदी बस्ती योजना अंतर्गत आवंटित राशि से किए गये कार्य में अनियमितता के संबंध में वार्ड क्रमांक 07 एवं 23 के पार्षदों द्वारा की शिकायत की जांच तथा कार्यवाही।	जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही दोषी पाए जाने वाले अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।	प्रकरण की जांच कराई गई है। जांच प्रतिवेदन में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गयी है। कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3177/3411/2011/18, दिनांक 20.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त 2000 सत्र
लोक निर्माण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48.	292	परि.अता.प्र.सं.18 (क्र.427) दि.20.07.2000	होशंगाबाद जिले के तवा पुल पर वर्ष 87-88 में श्री छोटे सिंह को दिये गये पथकर ठेके की बकाया राशि की वसूली एवं छोटेसिंह द्वारा जमानत वाली जमीन के कुछ भाग के विक्रय किये जाने की जांच तथा कार्यवाही ।	1. यथाशीघ्र । 2. जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की सकेगी ।	होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर पुल का ठेका वर्ष 87-88 की वसूली की कार्यवाही ना.तह.वृत्त मौ के न्यायालय में प्रकरण क्र. 1/87-88 अ-76 पर कायम कर वसूली की कार्यवाही दि.19.04.88 को की गई, किन्तु बकायादार द्वारा मा.उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन क्र. 2156/97 दायर करने पर माननीय उच्च खण्ड पीठ ग्वा. के आदेश दि. 12.01.98 द्वारा वसूली की कार्यवाही वैध मानकर अपील निरस्त करते हुए तहसीलदार को वसूली हेतु निर्देशित किया गया । मा.उच्च न्यायालय के आदेश दि.12.01.98 के पालन में तहसीलदार गोहद द्वारा वसूली की कार्यवाही चालू कर बकाया दार की चल-अचल संपत्ति की नीलामी हेतु दिनांक 21.04.98, 10.06.98, 30.06.98 एवं 30.07.98 नियत की गई, किन्तु किसी व्यक्ति द्वारा बोली न लगाने से नीलामी न हो सकी । पुन: प्रकरण क्र. 1/99-2000 अ-76 पर कायम कर अपर तहसीलदार मौ द्वारा वसूली की कार्यवाही की जाकर भूमि कुर्क करने की कार्यवाही की गई तथा नीलामी हेतु दि.11.01.2000 नियत की गई । किन्तु बकायादार खाते की भूमि हेतु किसी भी व्यक्ति द्वारा बोली नहीं लगाई गई। प्रकरण में पुन: नीलामी हेतु दि.24.02.2000 नियत की गई । अपर तहसीलदार मौ के प्रकरण क्र. 1/99-2000 अ-76 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2000 के विरूद्ध बकायादार छोटे सिंह की ओर से न्यायालय कलेक्टर, भिण्ड के यहां निगरानी प्रस्तुत की गई । जो कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण क्र. 32/99-2000 पर कायम की जाकर वाद सुनवाई निगरानी आधार होने से निरस्त करते हुए अपर तहसीलदार मौ का प्रकरण क्रमांक 1/99-2000 अ-76 वापिस कर वसूली के निर्देश दिये है । जिस पर से अपर तहसीलदार मो. द्वारा प्रकरण में बकाया राशि 5,57,090/- के स्थान पर संशोधित आर.आर.सी. अनुसार राशि 6,70,727/- की वसूली हेतु बकायादार को जमा	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					करने हेतु पुन: मांग पत्र जारी कर बकाया राशि दि.04.04.2001 तक जमा करने का समय दिया गया, यदि बकायादार द्वारा उक्त बकाया राशि निर्धारित समय में जमा नहीं कराई जाती है तो बकायादार के खाते की भूमि नीलामी कर वसूली की कार्यवाही की जावेगी। उक्त कार्यवाही में अपर तहसीलदार मौ द्वारा लगभग दो माह का समय लगना बताया गया है। बकायादार श्री छोटे सिंह द्वारा अपने खाते को आराजी किता 10 कुल रकबा 6.71 है में से सर्वे. क्र. 25 रकबा 0.27 है को शिवनारायण सिंह, प्रेम नारायण सिंह पुत्रगण श्री ज्ञान सिंह नि. जारेट को रजि. क्र. 1133 दिनांक 17.07.97द्वारा 19000/- रू. में विक्रय कर दिया गया है विक्रय पत्र निरस्त करने का अधिकार अपर तहसीलदार न्यायालय मौ. को न होकर सिविल न्यायालय को है तथा रजि. विक्रय पत्र के आधार पर प्रकरण में नामान्तरण की कार्यवाही रोक दी गई है तथा विक्रय पत्र क्र. 1133 दिनांक 17.07.97 को निरस्त करने बाबत पत्र क्र. 308/99/2000/बी-121, दिनांक 07.03.2001 को अनुविभागीय अधि. गोहद को भेजकर विक्रय पत्र निरस्त करने की कार्यवाही हेतु लिखा गया है। विक्रय पत्र निरस्त हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 18-79/2000/सा.-19, दिनांक 09.07.2001	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
49.	299	ता.प्र.सं.03 (क्र.1408) दि.27.07.2000	शिवपुरी शहर से निकलने वाले रा.रा.क्र. 03 के यातायात को, पिछोर के ट्राफिक को, उत्तर की तरफ वाले ट्राफिक को सर्क्यूलर रोड पर निकालने की व्यवस्था की जाना।	हम लोग इसका परीक्षण करवा लेंगे उस पर उचित निर्णय लेंगे।	आश्वासन में वर्णित जिला शिवपुरी में स्थित क्रमश: 02 रा.रा.मार्गो से संबंधित वस्तुस्थिति :- 1- राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्रमांक - 03 2- राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्रमांक - 25 दोनों ही मार्ग एन.एच.ए.आई. के अधिकार क्षेत्र में आ चुके है, जिससे राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्रमांक -25 को एन.एच.ए.आई. द्वारा फोरलेन में परिवर्तित किया जा चुका है। इंदौर तथा कोटा जाने वाला ट्राफिक एन.एच.ए.आई. द्वारा निर्मित बायपास से होकर जाता है तथा ग्वालियर जाने वाला ट्राफिक शिवपुरी बायपास से निकलता है एवं दूसरा मार्ग राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्रमांक 03 भी फोरलेन की कार्यवाही हेतु स्वीकृत होकर उनके द्वारा प्रारंभ किया जाना है। ऐसी स्थिति में शिवपुरी शहर से निकलने वाले ट्राफिक को लोक निर्माण विभाग संभाग शिवपुरी द्वारा वर्ष 2000 में निर्मित सर्कूलर मार्ग(बाईपास मार्ग) का एक भाग जो कि बी.ओ.टी. के अंतर्गत चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कर तत्समय से यातायात को निकाला जा रहा है। रात्रि में 09 बजे से प्रात: 07 बजे तक यातायात शहर के मध्य से ही गुजरता है। सर्कूलर मार्ग का दूसरा भाग जो रा.रा.मार्ग क्रमांक - 03 एवं 25 को जोड़ता है जिसका उन्नयन इ.एण्ड.आई. योजना में दिनांक 31.03.2010 में पूर्ण किया गया है, भी पूर्णता यातायात हेतु उपयुक्त है। पिछोर तथा झांसी जाने वाला यातायात भी अब फोरलेन (एन.एच.ए.आई.) द्वारा निर्मित मार्ग से वर्तमान में जुड चुका है। इस प्रकार अब बाईपास मार्ग की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 5383/7563/12/19/यो, दिनांक 12.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं.
50.	300	ता.प्र.सं.05 (क्र.3141) दि.27.07.2000	जबलपुर-अमरकंटक मार्ग में काली मिट्टी की कच्ची सड़क का निर्माण।	उक्त काली मिट्टी की सड़क निश्चित रूप से करवा देंगे।	जबलपुर-अमरकंटक मार्ग लंबाई 221.80 कि.मी. लागत रू.145.76 करोड़ ए.डी.बी. योजनान्तर्गत द्वितीय चरण में स्वीकृत किया था। उक्त मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 2007-08 में पूर्ण हो चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 5635/7336/2012/यो/19, दिनांक 22.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
51.	301	ता.प्र.सं.15 (क्र.1576) दि.27.07.2000	वर्ष 99 में 12 कार्यपालन यंत्रियों द्वारा आवंटित राशि से अधिक व्यय करने पर उक्त यंत्रियों को निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित कर मुख्यालय से सम्बद्ध किया जाना।	विवेचना होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	1- प्रकरण में निहित अधिकारियों के प्रकरण बिना दण्ड के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 22.02.2005 के अनुसार समाप्त किये गये हैं। 2- प्रकरण में लिये गये निर्णय का आधार यह है कि अपचारी अधिकारियों के प्रकरण विभागीय आदेश दि.19.09.2006 द्वारा प्रकरण उन्हें सचेत करते हुये समाप्त किये गये थे। सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त वर्णित निर्देशों के अनुक्रम में इन अधिकारियों के प्रकरण बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने का प्रशासकीय निर्णय प्राप्त किये जाकर संशोधन आदेश दिनांक 15.02.2015 को जारी किये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 21-83/2005/स्था/19, दिनांक 03.04.2014	कोई टिप्पणी नहीं.
52.	313	अता.प्र.सं.99 (क्र.4869) दि.03.08.2000	श्योपुर जिले में मार्ग निर्माण में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायत पर मुख्य अभियंता, ग्वालियर की जांच रिपोर्ट में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	परीक्षणोपरान्त ही बताया जा सकेगा।	1- श्योपुर संभाग के अंतर्गत अजापुर आबदा मार्ग पर फर्जी भुगतान पर शासन को हानि पहुंचाने के संबंध में दोषी अधिकारी श्री एम.एस.रोहित, उपयंत्री, श्री बी.पी.विश्वकर्मा, कार्यपालन यंत्री एवं श्री एन.के.जयंत, सहायक यंत्री से रू.66,099 में से 22,033/- की वसूली बराबर-बराबर रूप से किये जाने तथा परिनिन्दा की शास्ति से अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया। 2- श्री एम.एस.रोहित, उपयंत्री को दिनांक 29.10.2001 को रू.22,033 की वसूली एवं परिनिन्दा की शास्ति अधिरोपित करने का दण्ड दिया है। श्री बी.पी.विश्वकर्मा, कार्यपालन यंत्री एवं श्री एन.के. जयंत, सहायक यंत्री छत्तीसगढ़ शासन में कार्यरत होने के कारण इनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन को दि.16.01.2002 को लिखा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21/151/2000/स्था./19, दिनांक 08.09.2003	कोई टिप्पणी नहीं.
53.	317	परि.अता.प्र.सं.14 (क्र. 1820) दि.10.08.2000	छतरपुर उप संभाग में वर्ष 99-2000 में बिना स्वीकृति के हैण्ड रिसीट/इम्प्रेस्ट पर मजदूर लगाने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर, संबंधित उपयंत्री एवं स्टोर लिपिक के विरूद्ध जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी।	कार्यपालन यंत्री छतरपुर से प्रकरण की पूर्ण जानकारी व अभिलेख चाहे गये थे जो परिक्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त किये जा चुके है और आरोप पत्र बनाये जा रहे है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 21-167/2000/स्था./19,दिनांक 12.07.2001	समिति अपेक्षा करती है कि संबंधितों के विरूद्ध विभाग द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54.	321	अता.प्र.सं.17 (क्र.3035) दि.10.08.2000	श्री व्ही.के.अमर, कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच तथा कार्यवाही ।	यथाशीघ्र ।	कुल 11 शिकायतों में से 02 शिकायत सरल क्रमांक 05 एवं 06 लोकायुक्त संगठन के जांच प्रतिवेदन पर आधारित हैं । जिस पर विभागीय जांच संस्थित कर श्री व्ही.के.अमर, तत्का. कार्यपालन यंत्री को आरोप पत्रादि जारी किये जाकर विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है । शेष 02 शिकायत सरल क्रमांक 08 एवं 11 विचाराधीन, 07 शिकायत परीक्षण उपरांत नस्तीबद्ध की गई है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21-132/8/स्था./19, दिनांक 13.05.2005	कोई टिप्पणी नहीं.
55.	325	अता.प्र.सं.198 (क्र.7676) दि.10.08.2000	भोपाल में मरम्मत, विशेष मरम्मत एवं लघु गौण कार्यो के नाम पर वर्ष 92-93 से 96-97 के मध्य कार्यपालन यंत्रियों द्वारा किये गये अधिक व्यय के जिम्मेदार दोषियों पर कार्यवाही ।	जांच उपरांत गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।	भोपाल में लोक निर्माण विभाग के एक से अधिक संभाग हैं। वर्ष 92-93 से 96-97 तक का ब्यौरा विस्तृत होने से एकजाई किया जाना है, जिसमें समय लग रहा है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4580/10/20/19/यो/2000, दिनांक 12.07.2001	समिति अपेक्षा करती है कि जांच में जो भी अधिकारीगण दोषी पाये गये है उन पर कार्यवाही हो।

जुलाई-अगस्त 2000 सत्र
उच्च शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
56.	330	अता.प्र.सं.102 (क्र.3915) दि.27.07.2000	जीवाजी वि.वि.ग्वालियर द्वारा दिनांक 19.08.99 को लगभग 55 व्याख्याताओं की संविदा नियुक्ति बिना साक्षात्कार एवं अंग्रेजी बोलने की योग्यता को प्राप्त किये बिना किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जाएगी।	1- जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के तत्कालीन कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के नियमानुसार विभिन्न स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के लिए पूर्णत: अस्थाई (संविदा) नियुक्ति सत्र 1999-2000 हेतु पी.एच.डी. धारकों को नियत मानदेय पर प्रदान की गई थी। उक्त नियुक्तियां विश्वविद्यालय की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों की तात्कालिक आवश्यकता पर पदों को विज्ञापित कर मेरिट के आधार पर चयन कर की गई थी तथा सत्र के समापन उपरांत स्वत: ही समाप्त हो गई थी। ये नियुक्तियां संबंधित विषयों में अपेक्षित योग्यता धारी अभ्यार्थियों को प्रदान की गई थी। 2- चूंकि ये नियुक्तियां एक निर्धारित अवधि(एक वर्ष) के लिए की गई थी तथा उक्त अवधि व्यतीत होने के परिणामस्वरूप समाप्त हो चुकी हैं एवं जांच समिति द्वारा यह पाया गया कि उपर्युक्त नियुक्तियां स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष के अध्यापन के लिए की गई तथा इन नियुक्तियों से शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आया हैं तथा उक्त समस्त नियुक्तियां अब समाप्त हो चुकी है तथा नियुक्त किए गए शिक्षकों में से कोई भी शिक्षक अब सेवा में उपलब्ध नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 30-40/2011/38-3, दिनांक 29.06.2011	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त 2000 सत्र
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
57.	345	अता.प्र.सं.65 (क्रं 3148) दि.27.07.2000	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के लिए 10 शैयायुक्त नेत्र वार्ड एवं आपरेशन थियेटर के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना।	निर्माण कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना संभावित है।	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र.1 छिन्दवाड़ा के पृ.पत्र क्र. 2465/ता.शा./11-13 बी, दिनांक 23.04.2002 के अनुसार अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा में 10 शैयायुक्त नेत्रवार्ड एवं ओ.टी. का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-17-255/2012/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 04.06.2013	कोई टिप्पणी नहीं.
58.	350	परि.अता.प्र.सं.71 (क्र.4001) दि.03.08.2000	जिला झाबुआ के थांदला चिकित्सालय में रिक्त पदों की पूर्ति।	नियुक्तियों पर प्रतिबंध हटने पर रिक्त पदों की पूर्ति की जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।	थान्दला में रिक्त पद की पूर्ति के प्रयास अंतर्गत निम्नानुसार विशेषज्ञ/चि.अ./कर्मचारियों की पदस्थापना की गई है - 1. दिनांक 14.02.2001 से एक सर्जरी विशेषज्ञ 2. दिनांक 17.08.2005 को एक शिशुरोग चिकित्सक 3. दिनांक 01.08.2014 से एक स्त्रीरोग चिकित्सक 4. दिनांक 20.08.2013 से एक निश्चेतना चिकित्सक 5. दिनांक 05.06.2005 से एक चिकित्सक 6. दिनांक 10.01.2007 से एक बी.ई.ई. 7. दिनांक 07.09.2002 एवं 19.11.09 से दो स्टाफ नर्स 8. दिनांक 08.08.2008 से एक कम्पाउन्डर 9. दिनांक 27.08.2011 से एक वेक्सीन सुपरवाईजर 10. दिनांक 07.07.2009 से एक लैब टेक्निशियन 11. वर्ष 2011 में एक सर्वेलेंस निरीक्षक 12. वर्ष 2011/2012 में 02 सर्वेलेंस निरीक्षक उपरोक्तानुसार थान्दला में पद पूर्ति की कार्यवाही की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 4089/6575/2014/17/मेडि-एक, दिनांक 21.10.2014	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
59.	352	परि.अता.प्र.सं.141 (क्र.5717) दि.03.08.2000	सीहोर जिले के इछावर विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति ।	शासन द्वारा प्रतिबंध हटाये जाने के उपरांत रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही की जा सकेगी ।	सीहोर जिले के इछावर विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्ष 2000 में तृतीय श्रेणी के 09 तथा चतुर्थ श्रेणी के 02 पदों की पूर्ति, वर्ष 2001 में द्वितीय श्रेणी के 02, तृतीय श्रेणी के 11 तथा चतुर्थ श्रेणी के 01 पदों की पूर्ति वर्ष 2002 में तृतीय श्रेणी के 07 तथा चतुर्थ श्रेणी के 02 पदों की पूर्ति वर्ष 2003 में द्वितीय श्रेणी के 01 तृतीय श्रेणी के 10 तथा चतुर्थ श्रेणी के 01 पदों की पूर्ति वर्ष 2004 में तृतीय श्रेणी के 09 तथा चतुर्थ श्रेणी के 02 पदों की पूर्ति वर्ष 2005 में द्वितीय श्रेणी के 01 तृतीय श्रेणी के 10 तथा चतुर्थ श्रेणी के 04 पदों की पूर्ति वर्ष 2006 में द्वितीय श्रेणी के 01 तृतीय श्रेणी के 04 तथा चतुर्थ श्रेणी के 02 पदों की पूर्ति, वर्ष 2007 में तृतीय श्रेणी के 06 तथा चतुर्थ श्रेणी के 01 पदों की पूर्ति, वर्ष 2008 में तृतीय श्रेणी के 07 तथा चतुर्थ श्रेणी के 03 पदों की पूर्ति वर्ष 2009 में तृतीय श्रेणी के 04 एवं वर्ष 2010 में द्वितीय श्रेणी के 02 तृतीय श्रेणी के 03 पदों की पूर्ति की गई है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4804/2010/17/मेडि-1, दिनांक 25.10.2010	कोई टिप्पणी नहीं.
60.	358	ता.प्र.सं.-7 (क्रं. 5956) दि. 10.08.2000	एड्स नियन्त्रण समिति भोपाल में नेशनल एड्स कण्ट्रोल आर्गेनाइजेशन के निर्देशों के अनुरूप कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति किए जाने की जांच एवं सेवा से पृथक किया जाना एवं नाको के नियम के अनुसार गवर्निंग बाडी बनाई जाना।	(1) उनके अनुरूप अगर यह प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है तो हम उन्हें सेवा से पृथक कर देंगे । (2) यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम शीघ्र ही उसकी गवर्निंग बाडी बना देंगे । (3) तिलहन संघ के लोगों को यदि नाम के अनुसार डेपुटेशन पर नहीं लिया गया होगा तो हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।	उत्तर अप्राप्त	सितम्बर 2000 के आश्वासनों की पूर्ति अभी तक न हो पाना स्पष्ट करना है कि विभागीय अधिकारियों की उदासीनता और मामले को टालने की प्रवृत्ति ही है। समिति द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 20.09.2000 से लगातार पत्राचार किये जाने एवं प्रकरण मौखिक साक्ष्य में रखे जाने के बावजूद प्रारंभिक जानकारी अप्राप्त है । समिति विभागीय अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण कार्यवाही की निन्दा करती है और शासन से अपेक्षा करती है कि :- (1) इस मामले में विलम्ब के लिये दोषियों पर कड़ी कार्यवाही हो । (2) प्रकरण की विवेचना शीघ्र पूर्ण कर की गई कार्यवाही से समिति को तीन माह के भीतर अवगत करायें ।

जुलाई-अगस्त 2000 सत्र
ऊर्जा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
61.	375	परि.अता.प्र.सं.46 (क्र.3096) दि.03.08.2000	सतना जिले में कतिपय कृषकों को वरीयता क्रम से हटकर विद्युत पंप कनेक्शन देने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही ।	जांचोपरांत कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण में जांचोपरांत यह पाया गया कि श्री एच.के.श्रीवास्तव सहायक यंत्री निर्माण उप संभाग नागोद द्वारा वरीयता क्रम से हटकर कार्य किया गया है, जिसके लिए मुख्य अभियंता रीवा क्षेत्र द्वारा पत्र क्र.93 दि. 01.03.2001 से उपर्युक्त सहायक यंत्री को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसमें उनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का प्रावधान रखा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2097/11/951/13/2000, दिनांक 31.03.2001	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त 2000 सत्र
चिकित्सा शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
62.	393	अता.प्र.सं.55 (क्र.3977) दि.03.08.2000	अधीक्षक, सुल्तानिया महिला चिकित्सालय भोपाल द्वारा श्रीमती साधना पाण्डे, नि.श्रे.लि. द्वारा गंभीर अनियमितताओं के संबंध में की गई शिकायत पर कार्यवाही।	अतिशीघ्र।	श्रीमती साधना पाण्डे के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर उनका स्थानांतर हमीदिया चिकित्सालय से लेडी भोर सेंटर भोपाल किया जाकर अनियमितताओं की जांच कराई गई। जांच में शिकायत निराधार पाई जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 10-134/2000/1, दिनांक 04.08.2009	कोई टिप्पणी नहीं.
63.	394	अता.प्र.सं.86 (क्र.4459) दि.03.08.2000	मेडिकल कॉलेज भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर में रिक्त पदों की पूर्ति।	रिक्त पदों की पूर्ति हेतु यथासंभव प्रयास किये जा रहे है।	वर्ष 2000 से 2009 तक सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भरे गये है पद पूर्ति की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3477/1568/2010/1/55, दिनांक 02.11.2010	कोई टिप्पणी नहीं.
64.	395	अता.प्र.सं.147 (क्र.5994) दि.03.08.2000	सुल्तानिया महिला चिकित्सालय की तत्कालीन अधीक्षका श्रीमती अरूणा कुमार द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता की जांच को पूर्ण कर राशि की वसूली।	जांच पूर्ण होने पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।	सुल्तानिया महिला चिकित्सालय की तत्कालीन अधीक्षिका के विरूद्ध की गई शिकायत की जांच उच्च स्तर से कराई गई। जांच प्रतिवेदन में गुण-दोष के आधार पर परीक्षण किया गया, जिसमें कोई अनियमितता नहीं पाये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** एफ 10-63/2011/1/55, दि. 01.12.2014	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
65.	396	अता.प्र.सं.36 (क्र.4162) दि.10.08.2000	गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता कार्यालय से जारी आदेश दिनांक 01.03.2000 एवं 23.02.2000 की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	रिकार्ड प्राप्त होते ही समयावधि निर्धारित कर जांच की जाकर दोषी पाए जाने वाले अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।	संचालक, चिकित्सा शिक्षा को दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश पत्र क्रं. 2503/2391/ 2005/1/55, दिनांक 05.08.2011 द्वारा दिए जाने पर अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा दिनांक 06.08.2011 को जांच समिति का गठन किया गया था। समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के परीक्षणोपरांत पाया गया कि तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ.पी.के.जैन, 11 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके है। अत: म.प्र.सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के 04 वर्ष से अधिक समयावधि होने से दण्डात्मक कार्यवाही की जाना संभव नहीं है। डॉ.नील कमल कपूर विभाग से त्याग पत्र दे चुकी हैं। श्री आर.एल.मरावी तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने की कार्यवाही प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 3614/2391/2011/1/55, दिनांक 01.12.2014	कोई टिप्पणी नहीं.
66.	398	परि.अता.प्र.सं.148 (क्र.7435) दि.10.08.2000	चिकित्सालयों में पेन्शनर्स चिकित्सा सहायता समिति का शेष जिलों में गठन।	शेष जिलों में गठन किया जायेगा।	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित भोपाल संभाग के समस्त जिला चिकित्सालयों में पेंशनर चिकित्सा सलाहकार समिति का गठन उक्त विभाग द्वारा किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ-10-69/2011/1/55, दिनांक 06.08.2011	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त 2000 सत्र
आदिम जाति कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
67.	429	परि.अता.प्र.सं.31 (क्र.5030) दि.11.08.2000	श्री ए.के.मिश्रा तत्कालीन उपायुक्त आदिवासी विकास रीवा द्वारा उनके कार्यालय में की गई अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही।	जांच समिति से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	शासन द्वारा आदेश दिनांक 14.02.2000 को जांच समिति का गठन किया गया, किन्तु समिति के अध्यक्ष का बार-बार स्थानान्तरण होने के कारण विस्तृत जांच नहीं हो पाई एवं श्री ए.के.मिश्रा, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत रहते हुए दिनांक 31.10.2006 को सेवानिवृत्त हो गए है । ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्ति की अवधि 04 वर्ष से अधिक होने के कारण श्री मिश्रा के विरूद्ध पेंशन नियम-9 के अंतर्गत कार्यवाही संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 23-209/2000/1/25, दिनांक 02.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त 2000 सत्र
स्कूल शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
68.	443	परि.अता.प्र.सं.22 (क्र.880) दि.21.07.2000	सतना जिले के अंतर्गत शा.हाईस्कूल बसुधा में पदस्थ प्राचार्य श्री भोगीलाल मिश्रा के विरूद्ध प्रश्नकर्ता सदस्य एवं क्षेत्रीय विधायक श्री आर.पी.सिंह. द्वारा की गई शिकायतों पर प्राचार्य के विरूद्ध सघन कार्यवाही की जाना।	शेष शिकायत की जांच प्रचलित है, शिकायतें प्रमाणित पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	श्री भोगीलाल मिश्रा, तत्का.प्राचार्य शा.हाईस्कूल बसुधा जिला सतना के विरूद्ध शेष शिकायतों की जांच एवं विभागीय जांच प्रकरण का निराकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना के आदेश/जिप./शिक्षा/विभा. जांच/09/06, दिनांक 17.04.2009 के द्वारा जांचोपरांत आरोप प्रमाणित न होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1433/1256/2010/बीस-4, दिनांक 27.08.2010	कोई टिप्पणी नहीं.
69.	446	परि.अता.प्र.सं.47 (क्र.1686) दि.21.07.2000	विकासखण्ड पथरिया के अंतर्गत पथरिया में मिशन द्वारा जनपद भवन के पीछे, राजीव गांधी शिक्षा केन्द्र के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना एवं भवन निर्माण की जांच तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	(1) निर्माण कार्य दिसम्बर 2000 तक पूर्ण हो जाएगा। (2) निर्माण कार्य की जांच के आदेश दिये गये हैं । जांच उपरांत दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।	1. विकासखण्ड पथरिया के अंतर्गत निर्माणाधीन विकास खण्ड स्त्रोत केन्द्र भवन के निर्माण में ब्लाक निर्माण समिति द्वारा रूचि न लेने के कारण जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 15.05.2000 में दिये गये निर्देशानुसार शेष कार्य पूर्ण कराने हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दमोह को निर्माण एजेंसी बनाया गया। जिसके द्वारा उक्त भवन दिनांक 20.06.2003 को पूर्ण किया गया। 2. राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, भोपाल का पत्र क्रमांक 2304, दि.17.07.2000 से दिये गये निर्देशानुसार बी.आर.सी. भवन पथरिया के निर्माण की जांच कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दमोह से कराई गई । प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार निर्माण कार्य की गुणवत्ता ठीक न होने के कारण मूल्यांकन राशि में 05 प्रतिशत की कटौती की कार्यवाही की गई एवं दोषी निर्माण एजेंसी के अध्यक्ष/सचिव तथा तकनीकी स्टॉफ को नोटिस जारी किए गये। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 987/1020/2014/20-3, दिनांक 27.08.2014	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
70.	453	ता.प्र.सं.03 (क्र.1805) दि.28.07.2000	सतना विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित भवन विहीन शालाओं को उनके क्षेत्रों में प्रायवेट या व्यक्तिगत भवन में संचालित किया जाना।	इसको देख लेंगे।	सतना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित कोई भी शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल वर्तमान में भवन विहीन नहीं है। सभी शालाएं शासकीय भवन में संचालित हो रही हैं। जिन विद्यालयों के स्वयं के भवन नहीं है वे माध्यमिक/हाईस्कूल शाला के भवनों में पृथक-पृथक दो पालियों में संचालित हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3430/3113/2012/20-2, दिनांक 29.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं.
71.	469	अता.प्र.सं.72 (क्र.4419) दि.04.08.2000	कटनी जिले में पूर्व माध्यमिक परीक्षा 99-2000 में देवरी हटाई मूल्यांकन केन्द्र में मेमोरियल उ.मा.वि. की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में की गई शिकायत पर कार्यवाही।	दोषी पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी द्वारा दिनांक 01.02.07 एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कटनी के आदेश दिनांक 18.11.09 द्वारा सर्व संबंधितों के विरूद्ध सचेत करने की कार्यवाही की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-467/2000/बीस-2, दिनांक 08.01.2010	कोई टिप्पणी नहीं.
72.	457+483	परि.अता.प्र.सं.39 (क्र.5548) दि.11.08.2000	जिला साक्षरता समिति उज्जैन द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान कार्या. सहा. संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को स्थानान्तरण के बाद भी कार्यमुक्त न कर नियम विरूद्ध वेतन आहरित करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	नियम विरूद्ध वेतन आहरित करने वाले अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	श्री राजीव निगम तत्कालीन परियोजना अधिकारी नगरीय प्रशासन उज्जैन के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्र. रा.शि.के./ प्रौ.शि./अधी./ 04/2004/747, दि.18.11.04 द्वारा संचालक, नगरीय प्रशासन को लिखा गया है।पुन: विभागीय पत्र क्रमांक एफ 30-430/2000/20-2, दिनांक 02.02.2010 द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु लिखा गया है विभाग स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित न होने से यह आश्वासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को हस्तांतरित करने हेतु अनुरोध है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-430/2000/बीस-2, दिनांक 23.02.2012	विभाग द्वारा इस सचिवालय की ओर से कई पत्र लिखे जाने के बाद प्रकरण अन्य विभाग को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध लगभग 12 वर्ष की समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् किया जाना संदेह उत्पन्न करता है, जबकि होना तो यह चाहिये था कि विभाग स्वयं अपने स्तर से प्रकरण संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर इस सचिवालय को सूचित करता। इस प्रकरण में विभाग द्वारा ऐसा न किया जाना औचित्य से परे है, इससे यह परिलक्षित होता है कि इस संबंध में जानबूझकर लापरवाही की गई है। अत: समिति चाहेगी कि इस प्रकार की लापरवाही करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों पर कार्यवाही हो।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
73.	470	परि.अता.प्र.सं.86 (क्र.4960) दि.04.08.2000	विभाग के भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1982 को संशोधित कर उमावि. के साथ हाईस्कूल में पदस्थ उ.श्रे.शि. को भी प्राचार्य पद के लिए पात्र मानने संबंधी संशोधन पर कार्यवाही ।	समग्र रूप से परीक्षणोपरांत नियमानुसार आवश्यक संशोधन करने की कार्यवाही की जावेगी ।	प्रकरण में परीक्षण उपरांत आवश्यक संशोधन म.प्र.राजपत्र, दि.02.03.2007 में प्रकाशित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-166/2009/20-1, दिनांक 03.10.2009	कोई टिप्पणी नहीं.
74.	482	ता.प्र.सं.25 (क्र.7799) दि.11.08.2000	श्री रामलाल सिंह सहायक संचालक शिक्षा की शिकायत की जांच हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने वाले दोषी तत्कालीन संयुक्त संचालक, रीवा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही ।	जांच प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं करने के लिए दोषी तत्कालीन संयुक्त संचालक, रीवा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।	तत्कालीन संयुक्त संचालक श्री के.एल.त्रिपाठी दि.31.05.2003 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं । फलस्वरूप उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाना संभव नहीं है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-1436/2009/20-4, दिनांक 14.10.2009	कोई टिप्पणी नहीं.
75.	491	परि.अता.प्र.सं.94 (क्र.7205) दि.11.08.2000	रायसेन जिले में 03 कि.मी. की परिधि में खोली गई माध्यमिक शालाओं में शिक्षकीय स्टाफ की पूर्ति एवं स्वीकृति शालाओं को प्रारंभ किया जाना ।	1. शिक्षकीय स्टाफ यथाशीघ्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया जारी है । 2. यथाशीघ्र ।	शालेय शिक्षा विभाग जिला रायसेन में वर्ष 2000 में 65 माध्यमिक शालाएं स्वीकृत की गई एवं सभी संचालित हैं । सभी 65 शालाओं में 195 पद स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा 119 पद भरे एवं 76 पद रिक्त हैं । इन रिक्त पदों पर शिक्षकीय व्यवस्था कर दी गई है । सभी 65 शालाओं में भवन स्वीकृत कर उपलब्ध करा दिए गए हैं । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-378/2000/बीस-2, दिनांक 01.01.2010	कोई टिप्पणी नहीं.

स्थान :- भोपाल
दिनांक:- 01 दिसम्बर, 2015

(राजेन्द्र पाण्डेय)
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

:: परिशिष्ट - 1 ::

जुलाई-अगस्त 2000, सत्र के आश्वासनों पर पूर्व में प्रस्तुत प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची

क्रमांक	आश्वा.क्रं.	विभाग का नाम	प्रकरण की स्थिति	विधान सभा अवधि
1.	01	महिला एवं बाल विकास	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
2.	02	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
3.	03	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
4.	06	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
5.	07	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
6.	08	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
7.	11	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
8.	13	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
9.	14	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
10.	15	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
11.	17	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
12.	19	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
13.	21	"	निराकृत	द्वादश विधानसभा
14.	24	राजस्व	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
15.	25	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
16.	27	"	निराकृत	द्वादश विधानसभा
17.	28	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
18.	31	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
19.	32	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
20.	33	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
21.	34	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
22.	35	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
23.	36	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
24.	37	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
25.	38	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
26.	39	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
27.	40	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
28.	41	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
29.	42	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
30.	43	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
31.	45	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
32.	47	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
33.	48	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
34.	49	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
35.	50	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	

36.	51	राजस्व	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
37.	52	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
38.	53	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
39.	54	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
40.	55	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
41.	56	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
42.	57	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
43.	59	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
44.	61	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
45.	62	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
46.	63	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
47.	65	"	सप्तम प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
48.	66	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
49.	67	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
50.	68	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
51.	69	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
52.	70	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
53.	71	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
54.	72	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
55.	73	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
56.	74	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
57.	76	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
58.	77	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
59.	78	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
60.	79	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
61.	81	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
62.	82	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
63.	83	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
64.	84	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
65.	85	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
66.	86	मछली पालन	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
67.	87	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
68.	88	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
69.	89	खाद्य नागरिक आपूर्ति	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
70.	90	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
71.	91	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
72.	92	नर्मदा घाटी विकास	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
73.	93	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
74.	94	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
75.	95	कृषि	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	

76.	97	कृषि	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
77.	98	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
78.	100	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
79.	101	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
80.	102	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
81.	103	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
82.	104	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
83.	105	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
84.	107	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
85.	108	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
86.	110	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
87.	111	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
88.	112	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
89.	113	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
90.	114	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
91.	115	आवास एवं पर्यावरण	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
92.	116	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
93.	117	"	सप्तम प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
94.	119	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
95.	121	गृह विभाग	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
96.	122	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
97.	123	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
98.	124	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
99.	125	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
100.	126	"	उन्नीसवा प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
101.	127	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
102.	128	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
103.	129	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
104.	130	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
105.	132	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
106.	133	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
107.	134	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
108.	135	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
109.	136	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
110.	137	"	उन्नीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
111.	138	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
112.	139	"	उन्नीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
113.	140	"	बारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
114.	141	"	सप्तम् प्रतिवेन	एकादश विधानसभा
115.	142	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
116.	143	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

117.	144	गृह विभाग	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
118.	145	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
119.	146	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
120.	147	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
121.	148	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
122.	149	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
123.	150	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
124.	151	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
125.	152	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
126.	153	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
127.	154	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
128.	155	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
129.	156	"	उन्नीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
130.	158	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
131.	159	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
132.	160	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	
133.	161	सामान्य प्रशासन	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
134.	162	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
135.	163	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
136.	164	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
137.	166	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
138.	167	परिवाहन	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
139.	168	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
140.	169	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
141.	170	सहकारिता	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
142.	171	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
143.	173	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
144.	174	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
145.	175	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	एकादश विधानसभा
146.	176	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
147.	178	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	एकादश विधानसभा
148.	179	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
149.	180	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
150.	181	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
151.	182	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
152.	183	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	एकादश विधानसभा
153.	184	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
154.	185	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
155.	186	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
156.	187	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	एकादश विधानसभा

157.	188	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
158.	189	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
159.	190	वाणिज्यिककर	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
160.	191	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
161.	192	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
162.	193	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
163.	194	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
164.	195	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
165.	196	"	पंचम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
166.	197	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
167.	198	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
168.	199	पंचायत एवं ग्रमीण विकास	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
169.	200	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
170.	201	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
171.	202	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
172.	203	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
173.	204	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
174.	205	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
175.	206	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
176.	207	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
177.	208	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
178.	209	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
179.	210	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
180.	211	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
181.	213	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
182.	214	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
183.	215	"	उन्नीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
184.	216	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
185.	217	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
186.	218	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
187.	220	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
188.	222	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
189.	223	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
190.	225	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
191.	226	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
192.	227	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
193.	230	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
194.	231	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
195.	232	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
196.	233	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

197.	234	पंचायत एवं ग्रमीण विकास	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
198.	236	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
199.	238	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
200.	240	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
201.	242	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
202.	243	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
203.	244	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
204.	245	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
205.	246	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
206.	248	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
207.	250	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
208.	251	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
209.	252	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
210.	253	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
211.	255	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
212.	256	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
213.	258	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
214.	259	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
215.	260	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
216.	261	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
217.	262	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
218.	263	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
219.	264	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
220.	265	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
221.	266	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
222.	267	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
223.	268	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
224.	269	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
225.	270	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
226.	271	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
227.	273	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
228.	274	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
229.	275	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
230.	277	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
231.	278	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
232.	279	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
233.	280	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
234.	281	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
235.	282	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा

236.	283	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
237.	284	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
238.	285	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
239.	286	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
240.	287	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
241.	288	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
242.	289	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
243.	290	लोक निर्माण	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
244.	291	"	उन्नीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
245.	293	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
246.	294	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
247.	295	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश प्रतिवेदन
248.	296	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
249.	297	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
250.	298	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
251.	302	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
252.	303	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
253.	304	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश प्रतिवेदन
254.	305	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश प्रतिवेदन
255.	306	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
256.	307	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
257.	308	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
258.	309	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
259.	310	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
260.	311	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
261.	312	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
262.	314	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
263.	315	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
264.	316	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
265.	318	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
266.	319	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
267.	320	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
268.	322	"	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
269.	323	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
270.	324	"	दशम प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
271.	326	उच्च शिक्षा	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
272.	327	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
273.	328	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
274.	329	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
275.	331	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	

276.	332	उच्च शिक्षा	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
277.	333	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
278.	334	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
279.	335	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
280.	336	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
281.	337	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
282.	338	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
283.	339	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
284.	340	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
285.	341	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
286.	342	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
287.	343	"	-	विलोपित
288.	344	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
289.	346	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
290.	347	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
291.	348	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
292.	349	"	बारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
293.	351	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
294.	353	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
295.	354	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
296.	355	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
297.	356	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
298.	357	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
299.	359	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
300.	360	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
301.	361	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
302.	362	ऊर्जा	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
303.	363	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
304.	364	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
305.	365	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
306.	366	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
307.	367	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
308.	368	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
309.	369	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
310.	370	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
311.	371	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
312.	372	"	दशम प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
313.	373	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
314.	374	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	

315.	376	ऊर्जा	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
316.	377	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
317.	378	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
318.	379	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
319.	380	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
320.	381	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
321.	382	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
322.	383	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
323.	384	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
324.	385	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
325.	386	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
326.	387	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
327.	388	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
328.	389	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
329.	390	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
330.	391	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
331.	392	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
332.	397	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
333.	399	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
334.	400	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
335.	401	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
336.	402	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
337.	403	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
338.	404	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
339.	405	वाणिज्य एवं उद्योग	बारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
340.	406	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
341.	407	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
342.	408	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
343.	409	आदिम जाति कल्याण	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
344.	410	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
345.	411	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
346.	412	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
347.	413	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
348.	414	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
349.	415	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
350.	416	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
351.	417	आदिम जाति कल्याण	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
352.	418	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	

353.	419	आदिम जाति कल्याण	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
354.	420	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
355.	421	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
356.	422	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
357.	423	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
358.	424	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
359.	425	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
360.	426	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
361.	427	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
362.	428	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
363.	430	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
364.	431	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
365.	432	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
366.	433	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
367.	434	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
368.	435	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
369.	436	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
370.	437	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
371.	438	स्कूल शिक्षा	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
372.	439	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
373.	440	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
374.	441	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
375.	442	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
376.	444	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
377.	445	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
378.	447	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
379.	448	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
380.	449	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
381.	450	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
382.	451	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
383.	452	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
384.	454	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
385.	455	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
386.	456	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
387.	458	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
388.	459	"	उन्नीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
389.	460	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
390.	461	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
391.	462	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

392.	463	स्कूल शिक्षा	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
393.	464	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
394.	465	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
395.	466	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
396.	467	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
397.	468	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
398.	471	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
399.	472	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
400.	473	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
401.	474	"	उन्नीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
402.	475	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
403.	476	"	बारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
404.	477	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
405.	478	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
406.	479	"	उन्नीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
407.	480	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
408.	481	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
409.	484	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
410.	485	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
411.	486	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
412.	487	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
413.	488	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
414.	489	"	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
415.	490	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
416.	492	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
417.	493	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
418.	494	"	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
419.	495	पिछड़ा वर्ग कल्याण	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
420.	496	श्रम	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
421.	497	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
422.	498	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
423.	499	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
424.	500	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
425.	501	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
426.	502	अल्पसंख्यक कल्याण	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
427.	503	गामोद्योग	बारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
428.	504	"	बारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
429.	505	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
430.	506	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा